



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 80] प्रयागराज, शनिवार, 04 अप्रैल 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक संवत्) [संख्या 14

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	145—174	3075	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश	...	975
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	187—198	1500	भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये (ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट क—भारतीय संसद के ऐक्ट	...	975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	...	975	भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	...	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	...	975	भाग 8—नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	697-727	975
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	...	975	स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	...	1425

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

आयुष विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

28 जुलाई, 2023 ई0

सं0 4403/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अभिषेक तिवारी	श्री ब्रिजेन्द्र कुमार तिवारी	283	54100070699	अम्बेडकर नगर	ग्राम व पो0- लालमनपुर, अम्बेडकर नगर-224176	सोनभद्र

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4404/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री शशि कला द्विवेदी	श्री जय प्रकाश द्विवेदी	288	54100143835	मिर्जापुर	निवासी-86ख, दुर्गापुर, नीवाधिया, खमरिया, मिर्जापुर-221306	संत रविदास नगर (भदोही)

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4405/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती नेहा सिंह	W/o श्री वरुण चन्द्र भारती	290	54100118149	बिजनौर	गली नं0-1 इन्द्रा नगर कालोनी, कालागढ़ मार्ग धामपुर, बिजनौर-246761	मुरादाबाद

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4406/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री रवि कुमार	श्री नरेश चन्द्र सिंह	300	54100118732	बदायूँ	निवासी-ग्राम-आमगाँव, पो0-मोहम्मद नगर सुलरा, बदायूँ-243601	बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4407/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री मृत्युन्जय सिंह	श्री सुरेन्द्र सिंह	302	54100095495	जौनपुर	मकान नं0 72, भुईली, पोस्ट भदेवरा, गौराबादशाहपुर, तहसील कैराकत, जौनपुर-222133	आजमगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं० 4408/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री सुमन कुमारी	श्री रुकम पाल	308	54100091851	एटा	ग्राम-कपरेटा, पो०-बरई, थाना पिलुआ, एटा-207001	कासगंज

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4409/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अभिषेक वर्मा	श्री मदन लाल वर्मा	309	54100077374	बहराइच	निवासी-452 ग्राम व पो0-कुण्डवा टेह, मिहिनपुरवा, मोतीपुर, बहराइच-271855	गोण्डा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4410/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
रूपाली शुक्ला	श्री ए0के0 शुक्ला	314	54100106427	बदायूँ	निवासी-ए-180, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइन्स, बदायूँ-243601	रायबरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4411/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री आदित्य नारायण सिंह	श्री लाल बहादुर सिंह	317	54100091967	बलिया	म0नं0-328, ग्राम व पो0 सराय भारती, रसड़ा, बलिया-221712	आजमगढ़

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4412/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री रोमेश शर्मा	श्री गोविन्द दास शर्मा	320	54100141226	टीकमगढ़, मध्यप्रदेश	निवासी-36, बैंक कालोनी, जेल रोड, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश-472001	ललितपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4413/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री उमेश कुमार वर्मा	श्री विनोद कुमार वर्मा	321	54100089749	बहराइच	निवासी-ग्राम-बेहरा, पो0-खैरी, तहसील-महसी, बहराइच-271851	गोण्डा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं० 4414/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अमित कुमार सिंह	श्री ओम प्रकाश सिंह	324	54100084967	जौनपुर	निवासी-ग्राम व पो०-पेसारा, केराकत, जौनपुर-222142	चन्दौली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4415/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान

रु0 15,600-39,100/ग्रेड पे-5,400/(मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती डिम्पल शर्मा	W/o श्री हरीश मुदगल	327	54100110156	हनुमानगढ़, राजस्थान	निवासी-भादरा वार्ड नं0-21, कुटिया रोड, भादरा, हनुमानगढ़, राजस्थान-335501	सहारनपुर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7- केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8- राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9- अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं० 4416/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्रीमती वंदना रावत	W/o श्री सूरज सिंह मेहता	330	54100160708	पिथौरागढ़, उत्तराखण्ड	निवासी-जगदम्बा कालोनी, बेरीनाग, पिथौरागढ़, उत्तरांचल-262531	बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ०प्र० राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ०प्र० राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4417/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
मधुकर	श्री राम केवल सिंह	335	54100035208	मिर्जापुर	निवासी-ग्राम व पो0- बगही, हवेली, चुनार, मिर्जापुर-231304	सोनभद्र

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4418/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/— ग्रेड पे-5,400/— (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को

चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री अजय कुमार पटेल	श्री हरीनाथ पटेल	336	54100016708	जौनपुर	निवासी-ग्राम-परसुपुर, पो0-बनीदीह थाना रामपुर तहसील-मडियाहू, जौनपुर-222203	वाराणसी

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4419/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
श्री हिलाल अख्तर	श्री मुहम्मद अख्तर	344	54100029164	बदायूं	निवासी-00-मोहल्ला नाहर खां सराय, पट्टी गली, बदायूं-243601	बरेली

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4420/96-आयुष-1-2023-155/2017—उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान

रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
विनीता सिंह	श्री जगदीश सिंह सोमवंशी	345	54100065111	झांसी	निवासी-719, नये आवास निकट डिग्री कालेज परवारिपुरा, मऊरानीपुर, झांसी-284204	हरदोई

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं0 4421/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी0आर0/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु0 15,600-39,100 ग्रेड पे-5,400 (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा0 आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
सुलेखा रानी	श्री मोहर पाल सिंह	350	54100052144	मथुरा	निवासी-232/48, विजय नगर कालोनी, कृष्णा नगर, मथुरा-281004	आगरा

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

सं० 4439/96-आयुष-1-2023-155/2017-उ०प्र० लोक सेवा आयोग, प्रयागराज द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप प्रेषित संस्तुति पत्र संख्या-493(3)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21, दिनांक 02 फरवरी, 2023 एवं पत्र संख्या-493(4)/03/डी०आर०/एस-9/2020-21 दिनांक 28 मार्च, 2023 के आधार पर श्री राज्यपाल आयुष विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक और यूनानी) सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रु० 15,600-39,100/- ग्रेड पे-5,400/- (मैट्रिक्स लेवल-10) में निम्नलिखित तालिका में अंकित अभ्यर्थी को चिकित्साधिकारी (सामुदायिक स्वास्थ्य) के पद पर मौलिक रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं—

अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	मा० आयोग द्वारा निर्गत मुख्य सूची में क्रमांक	रजिस्ट्रेशन नम्बर	गृह जनपद	स्थायी पता	तैनाती का जनपद
1	2	3	4	5	6	7
पूजा तोमर	W/o श्री प्रशान्त सिंह	247	54100115896	बागपत	निवासी-9444 शताब्दी नगर, निकट- एल०आई०सी० कार्यालय, बागपत- 250611	गौतमबुद्ध नगर

उक्त नियुक्ति/तैनाती निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन होगी—

(1) सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 के नियम-18 के अधीन 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

(2) नियुक्त अभ्यर्थी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई-भत्ता तथा अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे।

(3) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 की अधिसूचना संख्या-सा-3-379/दस-2005-31(9)/2003, दिनांक 28 मार्च, 2005 द्वारा लागू नवपरिभाषित अंशदान पेंशन योजना प्रवृत्त होगी।

(4) उ0प्र0 राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेद एवं यूनानी) (समूह क और ख) सेवा नियमावली, 2003 में उल्लिखित प्राविधान लागू होंगे।

(5) उक्त अभ्यर्थी सम्बन्धित प्रस्तर-7 में अंकित सभी प्रमाण-पत्र आवंटित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर प्रस्तुत करके योगदान की सूचना देंगे। यदि उक्त अवधि के भीतर वे अपने तैनाती स्थल पर योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन निरस्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।

(6) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(7) कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी को निम्न प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे—

1— 02 ऐसे राजपत्रित अधिकारियों, जो सक्रिय सेवा में हो और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, से अच्छे चरित्र का प्रमाण-पत्र।

2— अभियोजन न चलाये जाने तथा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में, शपथ-पत्र।

3— आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बती चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये स्थाई पंजीकरण की दो प्रमाणित प्रतियाँ।

4— ओथ आफ एलीजियन्स का प्रमाण-पत्र।

5— गोपनीयता का प्रमाण-पत्र।

6— चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण-पत्र।

7— केवल एक जीवित पति/पत्नी होने का प्रमाण-पत्र।

8— राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित अभ्यर्थी के पासपोर्ट साइज की दो फोटो।

9— अभ्यर्थी की शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ।

(8) उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा और सामुदायिक स्वास्थ्य (आयुर्वेदिक एवं यूनानी) सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज से प्राप्त श्रेष्ठता क्रम (मेरिट) के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
लीना जौहरी,
प्रमुख सचिव।

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

12 जनवरी, 2026 ई०

सं० 4665/96-आयुष-2-2025/ई० पत्रा०-2008225-डा० गरिमा साहू, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सब्जी प्रेमचक, रायबरेली के सेवा अभिलेखों में नाम एवं गृह जनपद का पता परिवर्तित करने के संबंध में निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र नि०हो०/332/25/5347, दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 द्वारा प्राप्त आख्या/संस्तुति, एम०जी०ओ० के प्रस्तर-31 एवं एम० जी० ओ० के प्रस्तर-250 में निहित प्राविधानों के आलोक में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त डा० गरिमा साहू, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सब्जी प्रेमचक, रायबरेली का सर नेम एवं पता परिवर्तित कर नाम गरिमा निगम एवं पता- मं०नं०-128/198, के ब्लाक, किदवई नगर, कानपुर नगर, उ० प्र०-208011 अंकित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

इस संबंध में निदेशक, होम्योपैथी, द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये, कि डा० गरिमा साहू, होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय सब्जी प्रेमचक, रायबरेली के सेवा अभिलेखों में नाम एवं गृह जनपद का पता परिवर्तन प्रथम बार किया जा रहा है।

आज्ञा से,
हरिकेश चौरसिया,
विशेष सचिव।



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

झाँसी के जिलाधिकारी की आज्ञायें

17 अक्टूबर, 2024 ई०

सं० 604/12ए-डी०एल०आर०सी०/पुर्नग्रहण/2024-25-बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-परासई तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	परासई	291	0.028	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					229	0.688	बंजर	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					231	0.526		विकसित करने हेतु
					60	0.534		(निःशुल्क)
					227	1.133		
					40	0.162		
					57	0.364		
					योग.	3.435		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम परासई, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

सं० 605/12ए-डी0एल0आर0सी0/पुर्नग्रहण/2024-25—बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण झाँसी एवं राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन द्वारा पूर्व में प्रख्यापित व्यवस्था के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश संख्या-32/744/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03 जून, 2016 एवं शासनादेश संख्या-687/एक-1-2020-20 (5)/2016 दिनांक 06 जुलाई, 2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, जारी शासकीय कार्यालय-ज्ञाप (संशोधन) उ०प्र० शासन राजस्व अनुभाग-1 शासनादेश संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 एवं आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश अनुभाग-5 के पत्र संख्या 5303/5-264ए/2019, दिनांक 07 जनवरी, 2020 से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार, तथा उ०प्र० राजस्व संहिता की धारा-59 की उपधारा-2 तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति तथा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं, अविनाश कुमार, जिलाधिकारी, झाँसी संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक उपरोक्त शासनादेशों के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ 5 में उल्लिखित ग्राम-इमिलिया तहसील झाँसी के प्रबंध में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रम सं०	जिला	तहसील	परगना	गांव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्गृहीत की रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						हेक्टेयर		
1	झाँसी	झाँसी	झाँसी	इमिलिया	185	0.182	श्रेणी-5(3)ड़	बुन्देलखण्ड औद्योगिक
					210	0.170	बंजर	विकास प्राधिकरण (बीड़ा)
					228मि	0.121		विकसित करने हेतु
					230मि	0.137		(निःशुल्क)
					739	0.158		
					217	0.202		
					302	0.045		
					682	0.121		
					204/746	0.077		
					87	0.004		
					516	0.380		
					34	0.308		
					योग.	1.905		

जनपद झाँसी में बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी विकसित करने हेतु अधिसूचना संख्या 5595/77-4-23-1372/23 दिनांक 14 सितम्बर, 2023 द्वारा गठन किया गया है। के दृष्टिगत उपरोक्त बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीड़ा) झाँसी की स्थापना हेतु सरकारी भूमि ग्राम इमिलिया, तहसील झाँसी में उत्तर प्रदेश शासन, राजस्व अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप (संशोधन संख्या-578/एक-1-1099/46/2023 दिनांक 17 जुलाई, 2023 में दी गयी व्यवस्थानुसार आवंटन कार्यवाही की गयी है।

अविनाश कुमार,
जिलाधिकारी, झाँसी।

जनता के प्रयोज्यनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्तियां

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[(अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत)]

30 जनवरी, 2026

सं० 260—सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उत्तर प्रदेश, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-13, गढमुक्तेश्वर, हापुड (अपेक्षित निकाय का नाम) के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) शाखा नहर निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-चौकनी में कुल 0.164 हे० भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा-(1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या दिनांक को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से प्रकाशित दिनांक को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त धारा-19(1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-चौकनी की 0.164 हे० भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है।

राज्यपाल अग्रेत्तर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
हेक्टेयर—					
सम्भल	सम्भल	सम्भल	चौकनी	231	0.164

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं०	पुनर्वासन हेतु चिह्नित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

-----विस्थापित परिवारों की संख्या “शून्य”-----

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा, जनपद-सम्भल के कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,

सचिव/प्राधिकृत अधिकारी।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना

अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत,

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा अधिशासी अभियन्ता, मध्य गंगा नहर निर्माण खण्ड-13, गढमुक्तेश्वर हापुड (अपेक्षित निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन की मध्य गंगा नहर परियोजना (द्वितीय चरण) शाखा नहर निर्माण हेतु जनपद-सम्भल, तहसील-सम्भल, परगना-सम्भल, ग्राम-चौकनी में स्थित 0.164 हे० भूमि के लिए प्रकाशित अधिसूचना संख्या दिनांक के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकारी अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है। पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

.....

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,

जिलाधिकारी, सम्भल।

IRRIGATION AND WATER RESOURCES DEPARTMENT, UTTAR PRADESH**FORM-19**

[Sub-rule (1) of rule 27]

Declaration by Appropriate Government/Collector

[Under Sub-Section (1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION

January 30, 2026

No. 260—Whereas Preliminary notification no/VIII-S.L.A.O./Moradabad dated was issued under Sub-section (1) of section 11 of the Right to fair compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of 0.164 hectares of land in Village-Chokni, Pargana-

Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal construction Division-13, Garhmukteshwar Hapur (name of requiring body) and lastly published on dated 23-02-2023 The Deputy Collector/Assistant Collector Sambhal Was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector submitted in pursuance to provision under Sub section (2) of the section 15 of the Act, the Governor is pleased to declare under section 19(1) of the Act that he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of 0.164 hectares in Village- Chokni, Pargana-Sambhal, District-Sambhal, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Governor is further pleased under Sub-section (2) of section 19 of the Act, to direct the Collector of Sambhal to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A

(Land under Proposed Acquisition)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>
Sambhal	Sambhal	Sambhal	Chokni	231	0.164

SCHEDULE-B

(Land Identified as Settlement area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					<i>Hect.</i>

----- NO. OF DISPLACED FAMILIES IS "ZERO"-----

NOTE- A plan of land may be inspected in the Office of the Collector, Sambhal for the purpose of acquisition.

(Sd.) *Illegible*,
Secretary/Authorised Officer.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR

[Under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act]

By the Order of declaration made under Government notification no. /VIII-S.L.A.O./Moradabad dated, for 0.164 hectares of land in Village-Chokni, Pargana-Sambhal, Tehsil-Sambhal, District-Sambhal is required for public purpose, namely, project Madhya Ganga Canal Phase 2nd through Irrigation and Water Resources Department, Uttar Pradesh through Executive Engineer, Madhya Ganga Canal construction Division-13, Garhmukteshwar Hapur (name of requiring body), I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme alongwith Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

.....

NOTE--The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of the land acquisition.

(Sd.) *Illegible*,

District Magistrate, Sambhal.

कार्यालय, जिलाधिकारी, बहराइच

(अधिनियम की धारा-19 की उप धारा (1) के अन्तर्गत)

अधिसूचना

06 मार्च, 2026 ई0

सं0 953/वि0भू0अ0अ0-बहराइच-जनपद बहराइच में भारत-नेपाल राष्ट्र की सीमा के निकट बहुउद्देशीय हब निर्माण हेतु कुल-03 ग्रामों भवनियापुर टिकुरी, गबरखा, कलवारी परगना चर्दा तहसील नानपारा में स्थित 1.2495 हे0 भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या-639/वि0भू0अ0अ0-बहराइच दिनांक 29 दिसम्बर, 2025 को निर्गत की गयी थी जिसका "दैनिक समाचार" पत्र "अमर उजाला" व "राष्ट्रीय सहारा" के दिनांक 31 दिसम्बर, 2025 के अंक में प्रकाशित कराया गया है। अंतिम रूप से राजकीय गजट उत्तर प्रदेश में अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 31 जनवरी, 2026 को प्रकाशित किया गया है। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेन्ट कलेक्टर बहराइच को परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त नहीं किया गया है।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर भूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ बहराइच द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 05 मार्च, 2026 पर विचारोपरान्त धारा-19 (1) के अन्तर्गत राज्यपाल घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन

हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित ग्राम-भवनियापुर टिकुरी, गबरखा, कलवारी, परगना-चर्दा, तहसील-नानपारा, जनपद-बहराइच में स्थित की शून्य हे० है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
बहराइच	नानपारा	चर्दा	भवनियापुर टिकुरी	15मि०	0.2355
			कलवारी	941मि०	0.5770
			गबरखा	48	0.2270
				84 / 2	0.2100
				योग.	1.2495

अनुसूची "ख"

(विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

क्रम संख्या	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	अर्जन हेतु प्रभावित क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6	7
						हेक्टेयर
1	बहराइच	नानपारा	चर्दा	भवनियापुर टिकुरी	शून्य	शून्य
				कलवारी	शून्य	शून्य
				गबरखा	शून्य	शून्य

टिप्पणी— उक्त भूमि का स्थल नक्शा बहराइच कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

(ह०) अस्पष्ट,
कलेक्टर,
बहराइच।

राजस्व विभाग

प्रारूप-19

[नियम-27 का उपनियम (1)]

समुचित सरकार/कलेक्टर द्वारा घोषणा

[(अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (1) के अन्तर्गत)]

अधिसूचना

12 मार्च, 2026 ई0

सं0 290/अ0जि0भू0अ0/आगरा-कार्यालय उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आगरा के माध्यम से "महाराजा छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास सम्बन्धी स्थान को चिन्हित कर संग्रहालय के रूप में विकसित किया जाने" हेतु जनपद-आगरा परगना व तहसील-सदर, ग्राम-खतौना के गाटा संख्या 560 में स्थित कोठी एवं उससे संलग्न 2946.75 व.मी. भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 2181/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 सितम्बर, 2025 को निर्गत की गयी थी तथा अन्तिम रूप से दिनांक 10 नवम्बर, 2025 को प्रकाशित की गयी थी। डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर आगरा को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया गया था।

अधिनियम की धारा-15 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुपालन में कलेक्टर (भूमि अर्जन) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के विचारोपरान्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2014 के तहत राज्यपाल महोदय द्वारा प्रदत्त शक्तियों के परिपेक्ष्य में धारा-19 (1) के अन्तर्गत कलेक्टर आगरा घोषणा करने का निर्देश देते हैं कि उन्हें यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यक है तथा अनुसूची "ख" में उल्लिखित जिला-आगरा, तहसील-सदर, परगना-सदर, ग्राम- खतौना की निरंक हेक्टेयर भूमि को विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है।

कलेक्टर अग्रेतर निदेश देते हैं कि अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा के प्रकाशन के साथ पुनर्वासन योजना के सारांश के प्रकाशन हेतु भूमि अध्याप्ति कलेक्टर को निर्देशित करते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है।

अनुसूची-क

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल(व.मी. में)
1	2	3	4	5	6
आगरा	सदर	सदर	खतौना	560	कोठी एवं उससे संलग्न 2946.75 व0मी0

अनुसूची-ख

(विस्थापित परिवारों के लिये व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
-----शून्य-----					

टिप्पणी :-उक्त भूमि का स्थल नक्शा भूमि अध्याप्ति कलेक्टर आगरा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ह0 (अस्पष्ट),

कलेक्टर/प्राधिकृत अधिकारी, आगरा।

कलेक्टर द्वारा घोषणा की अधिसूचना
[अधिनियम की धारा-19 की उपधारा (2) के अन्तर्गत]

कार्यालय, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग आगरा के माध्यम से "महाराजा छत्रपति शिवाजी के गौरवशाली इतिहास सम्बन्धी स्थान को चिन्हित कर संग्रहालय के रूप में विकसित किये जाने" हेतु जनपद-आगरा, तहसील व परगना-सदर, ग्राम- खतैना के गाटा संख्या-560 में स्थित कोठी एवं उससे संलग्न 2946.75व.मी. 2946.75 व.मी. भूमि के लिये प्रकाशित अधिसूचना संख्या-2181/अ0जि0भू0अ0/आगरा दिनांक 09 सितम्बर, 2025 के क्रम में मेरे द्वारा घोषणा का प्रकाशन कर दिया गया है तथा सरकार अधिसूचना के साथ पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश संलग्न कर दिया गया है पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश निम्नवत् है—

परियोजना से प्रभावित भू-स्वामी सीमान्त कृषक की श्रेणी में आते हैं।

टिप्पणी—उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से देखा जा सकता है।

(ह0) अस्पष्ट,
कलेक्टर, आगरा।

REVENUE DEPARTMENT

FORM-19

[Sub-Rule (1) of Rule 27]

DECLARATION BY APPROPRIATE GOVERNMENT/COLLECTOR

[Under Sub-Section(1) of Section 19 of the Act]

NOTIFICATION

March, 12, 2026.

No. 290/A.D.M/(L.A.)/AGRA—Whereas Preliminary Notification No. 2181/A.D.M/(L.A.)/AGRA Dated: 9.9.2025 was issued under Sub-Section(1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, in respect of Kothi and Attached 2946.75 sqm Land situated in plot No. 560 in village-Khataina, Pargana & Tehsil-Sadar, District-Agra is required for To make the significant sites of Chhatrapati Shivaji Maharaj's glorious history and transform them into dedicated museums through U.P. Tourism Department, Agra and lastly published on dated 10.11.2025. The Deputy Collector/Assistant Collector-Agra was appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the project affected families.

After considering the report of the Collector (L.A) submitted in pursuance to provision under Sub-Section (2) of the Section 15 of the Act, the Collector Agra is to declare under Section 19(1) of the Act Under the power of Governor with Government Order dated 06.08.2014, he is satisfied that the area of the land mentioned in the given schedule "A" is needed for public purpose and the land to the extent of **2946.75 hectares** in village-Khataina, Pargana & Tehsil-Sadar, District-Agra, as given in schedule "B" has been identified as the Rehabilitation and Resettlement area for the purpose of Rehabilitation and Resettlement of the displaced families.

The Collector is further pleased under Sub-Section (2) of Section 19 of the Act, to direct the Collector(L.A) of Agra to publish a summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is attached herewith.

SCHEDULE-A**(LAND UNDER PROPOSED ACQUISITION)**

Sl No.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6	7
						Sqm.
1	Agra	Sadar	Sadar	Khataina	560	Kothi and Attached 2946.75

SCHEDULE- B**(LAND IDENTIFIED AS SETTLEMENT AREA FOR DISPLACED FAMILIES)**

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation
1	2	3	4	5	6
					Hect.

----- NIL -----

NOTE: A plan of land may be inspected in the office of the Collector for the purpose of acquisition.

(Sd.) Illegible,
Collector,
Collector/ Authorised officer, Agra.

NOTIFICATION OF DECLARATION BY COLLECTOR**[Under Sub-section (2) of Section 19 of the Act]**

By the Order of declaration made under Government Notification No. 2181./A.D.M(L.A)AGRA Date 9-9-2025 for Kothi and Attached 2946.75 sqm Land situated in plot No. 560 in Village-Khataina Pargana & Tehsil- Sadar, District-Agra is required for To make the significant sites of Chhatrapati Shivaji Maharaj's glorious history and transform them into dedicated museums through U.P. Tourism Department, Agra I hereby published the declaration made therein and summary of Rehabilitation and Resettlement scheme along with Government notification. A summary of the Rehabilitation and Resettlement scheme is given below:

Land affected by project comes under the category of marginal farmer.

Note : The plan for the land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of land acquisition.

(Sd.) Illegible,
Collector,
Agra.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT**ALLAHABAD****NOTIFICATION***December 06, 2024*

No. 2086/Admin.(Services)/2024—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Smt. **Anju Kamboj**, Additional Principal Judge, Family Court, Farrukhabad, till the new Principal Judge, Family Court, Farrukhabad assumes charge of the office.

No. 2087/Admin.(Services)/2024—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri **Dharmendra Kumar Pandey**, District & Sessions Judge, Ghazipur till the new Principal Judge, Family Court, Ghazipur assumes charge of the office.

No. 2088/Admin.(Services)/2024—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri **Mohammad Azad**, Additional Principal Judge, Family Court, Kushinagar at Padrauna till the new Principal Judge, Family Court, Kushinagar at Padrauna assumes charge of the office.

No. 2089/Admin.(Services)/2024—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D- (Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri **Mahendra Prasad Chaudhary**, District & Sessions Judge, Sant Kabir Nagar till the new Principal Judge, Family Court, Sant Kabir Nagar assumes charge of the office.

No. 2090/Admin.(Services)/2024—In exercise of the powers conferred under Clause 12-D-

(Note) of Financial Hand Book, Volume-V (Part-I), Chapter-II, High Court of Judicature at Allahabad hereby delegates Financial Powers to Sri **Virjendra Kumar Singh**, District & Sessions Judge, Siddharthnagar till the new Principal Judge, Family Court, Siddharthnagar assumes charge of the office.

December 07, 2024

No. 2091/Admin.(Services)/2024—Pursuant to Government Notification No. UO 183/VI-P-9-2024 dated 02.12.2024, Dr. **Shalini Singh-I**, Additional District & Sessions Judge, Lucknow to be Additional District & Sessions Judge/Special Judge, Special Court No. 9 (Prevention of Corruption Act), Lucknow.

December 12, 2024

No. 2092/Admin.(Services)/2024—Sushri **Sonal Agrawal**, Law Officer, U.P. SC/ST Commission, Lucknow is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mirzapur *vice* Smt. Mina Akhtar.

No. 2093/Admin.(Services)/2024—Smt. **Mina Akhtar**, Judicial Magistrate, First Class, Mirzapur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mirzapur.

December 20, 2024

No. 2094/Admin. (Services) /2024—Pursuant to U.P. Government Notification No. 2/2024/1191/VII-Nyay-2-2024-216G/2007 T.C.-II dated 19.12.2024, Sri **Kanishk Rathaur**, Additional Civil Judge (Junior Division), Unnao is appointed/posted as Nyayadhikari, Gram Nyayalaya at tehsil-Bighapur District-Unnao, in the newly created court, created *vide* G.O. No. 25/2015/1462/VII-Nyay-2-2015-216G/2007 dated 24.11.2015.

By Order of the Hon'ble Court,
RAJEEV BHARTI,
Registrar General.



सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 04 अप्रैल, 2026 ई० (चैत्र 14, 1948 शक संवत्)

भाग 8

नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायत, सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

NOTICE

No Legal Responsibility is accepted for the Publication of Advertisements/Public Notices in this Part of the Gazette of Uttar Pradesh. Persons Notifying the Advertisements/Public Notices will remain Solely, Responsible for the Legal Consequences and also for any other Misrepresentation etc.

By Order,
Director.

कार्यालय, नगर पालिका परिषद, धनौरा, अमरोहा

04 अक्टूबर, 2025 ई०

सं० 203/न०पा०परि०ध०/2025-उ०प्र० में नगर पालिका अधिनियम-1916 की सुसंगत धाराओं तथा धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषद, धनौरा जनपद अमरोहा की सीमान्तर्गत विज्ञापन पर कर लगाने हेतु विज्ञापन शुल्क "उपविधि-2025" बनायी गयी है। जिसका दैनिक शाह टाईम्स एवं दैनिक विधान केसरी समाचार दिनांक 9 सितम्बर, 2025 अमरोहा के अंक में आपत्तियां/सुझाव आमन्त्रित करने हेतु प्रकाशन कराया गया। किन्तु निर्धारित अवधि 15 दिन के अन्दर में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी आपत्ति एवं सुझाव कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तावित उपविधि/नियमावली, 2025 पर विचारोपरान्त अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद, धनौरा जनपद-अमरोहा के द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उक्त उपविधि 2025 सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी।

विज्ञापन कर नियमावली 2025

1- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह नियमावली नगर पालिका परिषद, धनौरा, अमरोहा विज्ञापन का निर्धारण एवं वसूली नियमावली 2025 कहलाएगी।

(2) यह नगर पालिका परिषद, धनौरा, अमरोहा के क्षेत्र में प्रभावी होगी।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2— परिभाषाये— जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में—

(1) अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद, अधिनियम, 1916 से है,

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, धनौरा अमरोहा के अधिशासी अधिकारी से है।

(3) नगर पालिका का तात्पर्य नगर पालिका परिषद, धनौरा अमरोहा से है।

(4) कर का तात्पर्य अधिनियम की धारा-128 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) में निर्दिष्ट विज्ञापनों पर कर से है।

(5) विज्ञापन का तात्पर्य विज्ञापन प्रतीक के माध्यम से विज्ञापन कर से है।

(6) प्रीमियम का तात्पर्य किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राज मार्ग/राज्य राज मार्ग को छोड़कर) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड चहार दीवारी या भवन का उपयोग विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के संप्रदर्शित या परिनिर्मित या प्रदर्शित करने की अनुज्ञा देने के लिये नियत की गई धनराशि से है जिसमें विज्ञापन कर की धनराशि शामिल नहीं है।

(7) विज्ञापनकर्ता का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसे इस नियमावली के अधीन को विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने चित्रित करने या लटकाने के लिये लिखित अनुमति प्रदान की गई हो और ऐसे व्यक्ति में उत्तक अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक सम्मिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी सम्मिलित है।

(8) विज्ञापन प्रतीक का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिये या तत्सम्बन्ध में सूचना देने के लिये या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति, लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित करने के लिये किसी सतह या संरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयोज्य हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति, जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या संरचना या किसी भवन से संलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या फिर्त खम्भे, स्क्रीन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

1— नगर पालिका परिषद, धनौरा जनपद-अमरोहा में निहित/स्वामित्वाधीन/प्रवन्धाधीन भूमि, दीवाल और भवन, सार्वजनिक स्थलों और सड़को या निजी स्थल पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	: रु0 1,000.00 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
अ— श्रेणी क्षेत्र	: रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
ब— श्रेणी क्षेत्र	: रु0 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
स— श्रेणी क्षेत्र	: रु0 400 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

2— यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अथवा इलैक्ट्रानिक प्रकाश युक्ति द्वारा प्रतिबिम्बित हो तो मद 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त दरें होंगी।

3— (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)

हल्का वाहन	: रु0 2,500 प्रतिवर्ष प्रति वाहन
भारी वाहन	: रु0 10,000 प्रतिवर्ष प्रति वाहन

(2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर

(1) तीन पहिया वाहन : रु0 25.00 पैसे प्रतिदिन

(2) चार पहिया वाहन : रु0 250.00 पैसे प्रतिदिन

(3) छः पहिया वाहन : रु0 500.00 पैसे प्रतिदिन

4- विद्युत तथा अन्य खम्भों पर विज्ञापन पट्ट-

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	: रु0 1,500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
अ- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 1,000 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
ब- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 750 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
स- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 500 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

5- पोस्टर : रु0 150 प्रति सैकड़ा एक बार

6- परचा : रु0 300 प्रति हजार एक बार

7- पताका (बैनर) : रु0 50 प्रति बैनर एक बार

8- विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्ति/परिवर्तनशील संदेश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह-

प्रवर श्रेणी क्षेत्र	: रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
अ- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
ब- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
स- श्रेणी क्षेत्र	: रु0 600 प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष

9- गुब्बारे : रु0 250 प्रतिदिन

10- छतरी : रु0 250 प्रतिदिन

11- एक स्तम्भ : ऊपर मद के अनुसार

किन्तु-

(1) यदि किसी वित्तीय वर्ष में विज्ञापन की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होती है तो उक्त विनिर्दिष्ट वार्षिक कर की दर पचास प्रतिशत कम कर दी जायेगी।

(2) यदि कोई विज्ञापनकर्ता किसी विज्ञापन को 3 माह से अनाधिक अवधि के लिये प्रदर्शित करना चाहता है तो अधिशासी अधिकारी निर्देश दे सकता है कि कर मासिक आधार पर आंगणित होगा किन्तु एक किस्त में वसूला जायेगा।

3- समिति का गठन अध्यक्ष नगर पंचायत की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जायेगा जिसने निम्नलिखित होंगे-

(एक) अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अध्यक्ष

(दो) अधिशासी अधिकारी सचिव

(तीन)	कर निर्धारण अधिकारी या कर अधीक्षक	सदस्य
(चार)	यातायात पुलिस विभाग का अधिकारी	सदस्य
(पाँच)	अध्यक्ष द्वारा नामित तीन निर्वाचित सदस्य	सदस्य

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी—

(क) प्रत्येक वर्ष माह मार्च में या आवश्यकतानुसार वित्तीय वर्ष के दौरान विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करना।

(ख) विज्ञापनों पर कर के प्रयोजनार्थ (प्रतिषिद्ध क्षेत्रों को छोड़कर) क्षेत्रों को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकरण करना—

(एक)	प्रवर श्रेणी क्षेत्र
(दो)	अ— श्रेणी क्षेत्र
(तीन)	ग— श्रेणी क्षेत्र
(चार)	स— श्रेणी क्षेत्र

4— प्रतिषेध—

1—अधिशाली अधिकारी से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगर पालिका परिषद, धनौरा की सीमा के भीतर किसी भवन, गुल,मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या वृक्ष रक्षक, नगर प्राचीर बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भो, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार को सूचना या चित्र, जिसमें किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा।

2—नगर पालिका परिषद, की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का स्वामी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति अधिशाली अधिकारी की लिखित पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा न चिपकायेगा, न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, न संप्रदर्शित, न लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या न लटकाने देगा, यदि ऐसा विज्ञापन किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

3—कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

4—कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5— प्रीमियम—

1—अधिशाली अधिकारी सार्वजनिक स्थलों के लिए प्रीमियम धनराशि सार्वजनिक नीलामी या निविदा द्वारा नगर पालिका परिषद, की स्वीकृति से नियत करेंगे।

2—उपनियम (1) की प्रक्रिया में विफल होने पर प्रीमियम धनराशि नगर पालिका द्वारा नियत की जायेगी।

6— अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—

1—अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए आवेदन संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट चिह्नित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे नियत शुल्क भुगतान करके नगर पालिका परिषद, के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

2—आवेदन पत्र के साथ कर और देय प्रीमियम की पूर्ण धनराशि जमा की जायेगी।

7— अनुज्ञा प्रदान करने की शर्तें—

1—किसी विज्ञापन वा विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी कि—

(क) अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु कर या प्रीमियम सहित कर इस नियमावली के अनुसार संदत्त और जमा किया गया हो।

(ख) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जायेगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जायेगा, चित्रित किया जायेगा जैसा कि अधिशासी अधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाये और विज्ञापन पट्ट, चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की ऊँचाई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो संलग्न विज्ञापन पट्टों के मध्य की दूरी, विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई या 02 मीटर, जो भी अधिक हो, से कम नहीं होगी।

(ग) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को समुचित दशाओं में रखा एवं अनुरक्षित किया जायेगा।

(घ) प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी।

(ङ) विज्ञापन या विज्ञापन की विषय वस्तु या उसके विवरण में अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

(च) विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी. की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे।

(छ) विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट अनुज्ञात स्थान पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे. प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

(ज) मार्ग के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साईकिल वालों के लिए स्वतन्त्र और सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी।

(झ) भवनों, यदि कोई हो, जो विज्ञापन और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन में किसी भी रूप में व्यवधान नहीं डाला जायेगा।

(ञ) लोकहित में अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा पत्र को निलम्बित कर दें जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापनों को हटा देगा।

(ट) विज्ञापनकर्ता अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों और इस नियमावली का अनुपालन करेगा।

(ठ)— विज्ञापनों से अवस्थान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिये।

(ड) भवन से सम्बन्धित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों को ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अर्पित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष लगाने की अनुज्ञा नहीं होगी।

(2) विज्ञापनों का अनुरक्षण और निरीक्षण तथा उनके अवलम्ब की जांच प्रति तीन माह के अन्तराल पर की जायेगी।

(क) विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाढ़ा बांधा नहीं जायेगा।

(3) अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा।

(क) यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारणों से गिर जाता है।

(ख) यदि कोई परिवर्धन, अधिशासी अधिकारी के निर्देश के अधीन उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर किया जाता है।

(ग) यदि (विज्ञापन या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है।

(घ) यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके उपर विज्ञापन परिनिर्मित किया जाता है और यदि ऐसे परिवर्धन या परिवर्तन में विज्ञापन या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है।

(ङ) यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित नियत या अवरुद्ध हों, भंजित या नष्ट हो जाती है।

8— आवेदन पत्रों की अस्वीकृति के आधार पर अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अस्वीकृत किया जा सकता है—

(क) आवेदन पत्र में अपेक्षित सूचना और विचरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस नियमावली के अनुरूप न हो।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स या आपत्तिजनक प्रकृति का. या नगर पालिका के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्ट कर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि अधिशासी अधिकारी की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्तता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो।

(घ) प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड़ के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(ङ) प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशान्ति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो।

(च) प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो।

(छ) विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के शंका में धारा 128 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर कृतदन करने के दिनांक को असदत्त हो।

9— विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट हटाने की शक्ति—

यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट इस नियमावली के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या साथ. सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशान्ति हो तो अधिशासी अधिकारी विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकता है या मिटवा सकता है और निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकता है—

(एक) ऐसे हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय और

(दो) ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था. लिखा गया था. चित्रित किया गया था या लटकाया गया था. के लिए क्षतियों की धनराशि।

10- छूट—

इस नियमावली की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापनों पट्टों पर लागू नहीं होगी—

(एक) यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है, जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

(दो) यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(तीन) किसी सरकारी वा अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

(चार) यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, सिग्नल्स, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिस, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप 02 मीटर • 02 मीटर से अधिक न हो।

(पाँच) यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाये किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

(छः) यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय, मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारोबार से सम्बन्धित हो, परन्तु यह 1.2×1.2 मीटर से अधिक न हो।

11- छतों के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्वन्धन—

1—किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक या वस्त्र पत्रक अनुमत्य है।

2—किसी भवन की छत पर विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 02 मीटर से अधिक नहीं होगी।

12- निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—

नगर पालिका परिषद या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापन पट्टों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन, लगाना, चिपकाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिये निषिद्ध घोषित कर सकती है।

13- प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति—

अधिकांसी अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई नगर पालिका अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिये या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिये जो इस नियमावली द्वारा या तदधीन प्राधिकृत को या जो किसी प्रयोजन के लिये आवश्यक हो या इस नियमावली के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सहायको या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

(एक) सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय और अध्यासी को युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना या यदि भूमि या भवनों के स्वामी हेतु कोई अध्यासी न हो तो इस प्रकार प्रवेश नहीं की जायेगी।

(दो) प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो, को हटाने के लिये पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

14- कर भुगतान की रीति—

कर एकल किस्त में संदेय होगा। जब तक पूर्ण धनराशि का भुगतान न किया जाये तब तक कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा।

15- शस्ति—

उत्तर प्रदेश नगर पंचायत अधिनियम, 1916 की धारा-299 (1) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्य सरकार यह निर्देश देती है कि उक्त नियमों का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रसर जुर्माना किया जा सकेगा जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, पच्चीस रुपये तक हो सकता है।

ह0 अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पालिका परिषद धनौरा,
जनपद-अमरोहा।

कार्यालय, नगर पंचायत बरियारपुर, देवरिया

12 फरवरी, 2025 ई0

सं0 559/न0पं0बरियारपुर/उपविधि-2025-26-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत बरियारपुर द्वारा अपने सीमान्तगत विविधकर शुल्क (उपविधि) नियमावली, 2024 प्रस्तावित करते हुए उपरोक्त नियमावली धारा-301 के अन्तर्गत प्रकाशन के पश्चात् उसके किसी बिन्दु या सभी बिन्दुओं पर किसी व्यक्ति या समूह का आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपने लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत बरियारपुर में प्रकाशन के 15 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकता है तदक्रम में दैनिक समाचार पत्र स्वतंत्र जनमित्र एवं स्वतंत्र जनभारती में दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को प्रकाशित कराकर 15 दिवस के अन्दर आपत्ति व सुझाव आमंत्रित किया गया निर्धारित समय अवधि 15 दिन के अन्दर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ जिसको मा0 बोर्ड बैठक दिनांक 10.11.2025 को प्रस्ताव संख्या-08 के द्वारा उपरोक्त उपविधि को उसी रूप में सर्वसम्मत से स्वीकृति प्रदान की गयी है। निम्नवत् उपविधि को गजट में प्रकाशन की तिथि प्रभावी माना जायेगा।

उपविधि

संक्षिप्त नाम प्रसार एवं प्रारम्भ—

1—यह उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 कहलायेगी।

2—यह उपविधि “नगर पंचायत” बरियारपुर, जनपद-देवरिया की सीमा में लागू होगी।

3—यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने के दिनांक से नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया में प्रभावी होगी।

परिभाषाएँ—

1—“अध्यक्ष” का तात्पर्य नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया के अध्यक्ष से है।

2—“अधिकांसी अधिकारी” का तात्पर्य नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया के अधिकांसी अधिकारी से है।

3—“नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया से है।

1—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन—

1—नाला/नाली/सार्वजनिक जगहों/मार्गों पर गन्दगी फैलाने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति प्रकरण पुनरावृत्ति करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रति प्रकरण।

2—किसी स्वामी के मरे हुए छोटे जानवर उठाने पर रु0 500 प्रति पशु तथा बड़े जानवर उठाने पर शुल्क रु0 1,000.00 प्रति पशु।

3—किसी स्थायी या अस्थायी दुकान, चाट/फल/मोमोज/चाऊमीन/अन्डा/दुकान एवं ठेले आदि पर हरा एवं नीला डस्टबिन गीले तथा सूखे कूड़े हेतु रखना अनिवार्य है, डस्टबिन नहीं होने पर जुर्माना शुल्क रु0 500.00 प्रति दुकान प्रतिदिन की दर से लिया जायेगा।

4—नगर पंचायत सीमान्तर्गत नदियों/तालाबों/पोखरों आदि किसी भी जलाशयों में कूड़ा फेंकना प्रतिबन्धित है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा जलाशयों में कूड़ा फेंका जाता है तो ऐसे व्यक्तियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 तथा वाटर पालूशन एक्ट के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा करते हुए 2000 रु0 जुर्माना प्रति प्रकरण वसूल किया जायेगा।

5—किसी व्यक्ति के शादी विवाह एवं अन्य उत्सव में सफाई हेतु शुल्क रु0 2000 प्रति प्रकरण।

6—सड़क के किनारे नालियों रिटेनिंग वाल के ऊपर अतिक्रमण सड़क के किनारे अवैध गुमटी, खोखा, मछली, मुर्गा, बकरा आदि जानवरों के फेंके गये हुए अवशेष नालियों में डालने इत्यादि व सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकानों का सामान फैलाने, रात के समय या दिन में सड़क पर दो या चार पहिया वाहन खड़ा कर रास्ता अवरुद्ध करने, बीच सड़क में शादी विवाह या अन्य प्रयोजन कर रास्ता अवरुद्ध करने पर जुर्माना शुल्क रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं शासनादेश संख्या 3595/नौ-5-2026-29 रिट/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 एवं एन0जी0टी0 ऐक्ट 2010 की धारा-15 एवं 16 में दिये गये प्रविधानों के अनुसार सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत आप पर रु0 50,000.00 (पच्चास हजार रुपया) जुर्माना अधिरोपित किया जाना प्राविधानित है। उपरोक्त सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी द्वारा रु0 5,000.00 से 50,000.00 रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

7—नगर पंचायत में स्थित नालियों पर स्लैब डाल कर स्थायी रूप से ढकने के कारण नाली सफाई में अवरोध उत्पन्न होने व नाली/नाला/सड़क/रिटेनिंगबाल, गुमटी, धुलाई व फिलींग सर्विसिंग स्टेशन व दुकानों के सामने सड़क पर अनाधिकृत रूप से सामान रखने व अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा/अतिक्रमण पाये जाने पर जुर्माना शुल्क रु0 3,000.00 प्रति व्यक्ति, अवैध कब्जा/अतिक्रमण नगर पंचायत के संज्ञान में आने पर कार्यालय द्वारा नोटिस प्राप्त करने या नोटिस लेने से इन्कार करने के दिनांक के एक दिन बाद से अवैध कब्जा/अतिक्रमण हटाये जाने की तिथि तक प्रतिदिन जुर्माना रु0 500.00 की दर से वसूल किया जायेगा।

8—नगर पंचायत सीमान्तर्गत सार्वजनिक सड़कों, नाला, फुटपाथों, डिवाइडरों विवाह घर, कार्यालय भवन, रैन बसेरा, पार्क तालाबों को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5,000.00 प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुर्माना तथा उक्त आदि

पर लगाये गये लाइटों, दरवाजों, पेड़ पौधे, आदि किसी वस्तु को क्षतिग्रस्त करने पर जुर्माना रु0 5000.00 प्रति अर्द्ध प्रति व्यक्ति की दर से सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

9—गेस्ट हाउस, बैंक, शराब की दुकान, नर्सिंगहोम/अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं व्यक्तिगत आवासीय घर आदि द्वारा नाली पर जनरेटर या अन्य कोई सामान रखकर अतिक्रमण करने पर जुर्माना रु0 1,000.00 प्रतिदिन एवं प्रति बुकिंग 1000 /—रु0 प्रतिदिन सक्षम अधिकारी द्वारा अधिरोपित किया जायेगा।

10—नगर पंचायत सीमान्तर्गत महापुरुषों की प्रतिमाओं, पार्क/डिवाइडरों/फुटपाथों नगर पंचायत के स्वामित्व के भवनों पर पोस्टर/बैनर लगाने/चिपकाने एवं वाल पेंटिंग/वाल राइटिंग आदि करना प्रतिबन्धित है यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कार्य किये जाने पर जुर्माना रु0 3,000.00 देय होगा।

11—नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को पृथक्कृत करते हुए डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों द्वारा कूड़े को डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को उपलब्ध न कराते हुए मकान के सामने कूड़ा डालने, सड़क किनारे, नाले/नालियों में, खाली पड़े प्लाटों में फेकते हुए पकड़े जाते हैं तो ऐसे भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामियों पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए 1000 रु0 की दर से प्रति प्रकरण जुर्माना नगर पंचायत के सक्षम अधिकारी द्वारा वसूल किया जायेगा।

12—नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त भवन स्वामियों/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी को घरों से निकलने वाले कूड़े को चार भागों में—सूखे कूड़े, गीले कूड़े, हजार्डस कूड़े तथा सेनेटरी कूड़े को पृथक्कृत करते हुए निकाय द्वारा डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन वाहन को कूड़ा उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि भवन स्वामी/व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा कूड़े को चार भागों में पृथक्कृत करते नहीं पाये जाने पर निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा 500 रुपया प्रतिदिन की दर से जुर्माना के रूप में वसूल किया जायेगा।

13—डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का कार्य नगर पंचायत द्वारा या नगर पंचायत द्वारा अनुबन्धित संस्था द्वारा किये जाने पर यूजर चार्ज के रूप में प्रति घर शुल्क रु0 50.00 प्रतिमाह, व्यवसायिक शुल्क रु0 100.00 प्रतिमाह प्रति प्रतिष्ठान की दर से लिया जायेगा।

14—नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में किसी व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान द्वारा आपने परिसर में प्रतिदिन न्यूनतम 50 किलोग्राम या इससे अधिक कूड़े का उत्सर्जन अथवा 5000 वर्गमीटर से अधिक का परिसर है तो ऐसे व्यक्ति, संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान को बल्कवेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

15—ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2016 में कचड़ा उत्सर्जक के कर्तव्य (Duties of Waste Generator) के विषयगत निर्देशों के अनुक्रम में प्राविधान (दायित्व एवं कर्तव्य) दिये गये हैं। जिसका अनुपालन प्रत्येक बल्क वेस्ट जनरेटरों को करना अनिवार्य होगा।

बल्कवेस्ट जनरेटर के दायित्व एवं कर्तव्य निम्नवत हैं—

(1) परिसर से निकलने वाले गीले, सूखे एवं हानिकारक कूड़े को अलग-अलग डस्टबिन में रखना सुनिश्चित करें।

(2) गीले कूड़े का निस्तारण बायोगैस अथवा कम्पोस्टपिट के माध्यम से कम्पोस्ट बनाकर सुनिश्चित करें।

(3) सूखे कूड़े को नगर पंचायत अथवा पंजीकृत संस्थान को ही निस्तारण हेतु देना सुनिश्चित करें।

(4) परिसर से निकलने वाले फूलपत्ती (Horticulture and Garden Waste) जैसे अपशिष्टों का निस्तारण परिसर के अन्दर कम्पोस्ट पिट बनाकर करना है अथवा स्थान न उपलब्ध होने पर नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्थान के माध्यम से ही निस्तारण करवाना सुनिश्चित करना होगा।

(5) परिसर में निकलने वाले मलवों, मिट्टी (Construction & Demolition Waste) का निस्तारण Construction & Demolition Waste Management Rulls में 2016 के अन्तर्गत कराना सुनिश्चित करना होगा, किसी भी दशा में परिसर के बाहर मलवों, मिट्टी फेकना प्रतिबन्धित रहेगा। उचित निस्तारण हेतु नगर पंचायत अथवा नगर पंचायत से पंजीकृत संस्था द्वारा कराना अनिवार्य होगा।

(16) बल्कवेस्ट जनरेटर के समस्त दायित्व एवं कर्तव्यों का अनुपालन करना अनिवार्य है, प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाले ऐसे व्यक्ति संस्थान या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (N.G.T.) एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 में निहित नियमों के अन्तर्गत शुल्क/उपभोक्ता शुल्क/अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

2-फीकल स्लज सेप्टेज अपशिष्ट प्रबन्धन-

(1) हाथ से मैला उठाने वाले (मैनुअल स्कैवेजर) कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुर्नवास अधिनियम, 2013 के क्रम में नगर पंचायत सीमान्तर्गत हाथ से मैला उठाना प्रतिबन्धित है।

(2) नगर पंचायत की सीमान्तर्गत निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का प्रयोग शौच करने वाले प्रति व्यक्ति से यूजरचार्ज शुल्क रू0 05.00 लिया जायेगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत खुले में शौच करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना 1,000.00 प्रति व्यक्ति तथा खुले में मूत्र करते पाये जाने पर जुर्माना रू0 200.00 प्रति व्यक्ति एवं पुनरावृत्ति पाये जाने पर जुर्माना रू0 500.00 प्रति व्यक्ति वसूला जायेगा।

(4) नगर पंचायत की सीमा में निर्मित सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का प्रयोग करते समय या अनाधिकृत तरीके से सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों को क्षतिग्रस्त करते पाये जाने पर प्रति व्यक्ति जुर्माना राशि 50000/-रू0 वसूल करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही सक्षम अधिकारी द्वारा की जायेगी।

(5) नगर पंचायत सीमान्तर्गत समस्त प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटर सेप्टिक टैंक की सफाई हेतु नगर पंचायत से पंजीकृत होकर लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् डी-स्लजिंग का कार्य करेंगे, अन्यथा की स्थिति में सुसंगत धाराओं में उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिए समस्त जिम्मेदारी प्राइवेट डी0-स्लजिंग आपरेटरों स्वयं की होगी।

(6) कार्यालय नगर पंचायत से डी-स्लजिंग कार्य हेतु लाइसेंस प्राप्त आपरेटर द्वारा ओ.एस.एस. (सेप्टिक टैंक) से एकत्रित किये गये स्लज को नगर पंचायत द्वारा अधिसूचित स्थान पर डिस्चार्ज करने के बजाय खुले अथवा बन्द नालियों/नालों जलाशयों (तालाब, पोखर, नदी) एवं खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि किये जाने पर जुर्माना/अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी होगा (होगी) एवं उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(7) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित भवनों के सेप्टिक टैंक से डी-स्लजिंग (सेप्टिक टैंक की सफाई) कार्य कराने हेतु निकाय द्वारा उपलब्ध कराये जा रहें टोल फ्री नम्बर 14420 तथा 1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सफाई कार्य कराया जा सकता है।

(8) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज को खुले अथवा बन्द नालियों, जलाशयों (तालाब, पोखरा, नदी,) खुले स्थानों (खेत, प्लाट, गड्ढों) आदि में प्रवाहित करना अपराध की श्रेणी में आता है। इस तरह के कृत्य करने पर भू-स्वामी/व्यक्ति या संस्था या व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय भवन के मालिक/मालकिन जुर्माना/अर्थ दण्ड के भागी होंगे, तथा उनके खिलाफ सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जायेगी।

(9) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त प्रकार आवासीय भवन, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, सरकारी कार्यालय आदि में उत्पन्न होने वाले फीकल स्लज के उचित निस्तारण हेतु प्रत्येक 2-3 वर्ष के अन्दर सेप्टिक टैंक की सफाई कराना अनिवार्य है। जिस हेतु आवास/प्रतिष्ठान, मालिक/मालकिन नगर पंचायत अथवा लाइसेंस प्राप्त डी-स्लजिंग ऑपरेटर से सम्पर्क कर निर्धारित शुल्क मु0-1500/- रु0 अथवा (समय-समय पर मा0 बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित दर) जमा कराकर अपने टैंकों की सफाई करा सकता है।

(10) सेप्टिक टैंक/ओएसएस का डिजाइन, निर्माण और इसकी संस्थापना समय-समय पर यथा: संशोधित मैनुअल ऑनसीवरेज एण्ड सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम, 2013 CPHEEO के प्रावधानों के अनुसार अथवा नगर पंचायत तथा राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा जारी किये गये किसी अन्य स्वीकृत मजबूत इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के अनुसार होंगे, तथा फीकल स्लज सेप्टिक टैंक/ओएसएस से डिस्चार्ज हो रहा हो जिसका खुले में कोई आउटलेट न हों।

(11) नगर पंचायत सीमान्तर्गत निर्मित समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में उच्चस्तरीय नागरिक हितैसी सेवायें रख-रखाव एवं आवश्यक सुविधायें नियमित रूप से कराये जाने हेतु सर्विस लेवल वेंचमार्क निर्धारित किये गये हैं जिसका पालन करना/करवाना समस्त सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के केयर टेकर/सुपरवाइजर/सफाई निरीक्षकों को अनिवार्य होगा। अनुपालन करते हुए न पाये जाने पर नीचे प्रदर्शित अर्थ दण्ड देय होगा। यदि किसी व्यक्ति को सर्विस लेवल वेंचमार्क की विस्तृत जानकारी चाहिए ऐसे व्यक्ति कार्यालय में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

(12) कार्यालय नगर पंचायत द्वारा समस्त सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों हेतु निर्धारित सर्विस लेवल वेंचमार्क निम्नवत है :-

क्र० सं०	सेवा का प्रकार	मनक लक्ष्य	अर्थ-दण्ड की स्थिति
1	2	3	4
1	केयर टेकर का नाम, मो० नं०, टोयलेट आई०डी०, सफाई कर्मचारी का नाम तथा शौचालय खुलने एवं बन्द होने का समय तथा विज्ञापन हेतु सम्पर्क नम्बर की उपलब्धता।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के फ्रंट दीवार पर अंकित	200
2	जल की उपलब्धता	24 घण्टें	200
3	शौचालयों में प्रकाश व हवादानी की व्यवस्था	प्रत्येक सीट में प्रकाश हेतु एल०ई०डी० लाइट एवं हवा हेतु प्राकृतिक हवादानी/इक्झासफैन द्वारा	500
4	सेप्टिक टैंक/सीवरेज की व्यवस्था	समस्त शौचालयों में	500
5	शिकायत निवारण की समय सीमा	24 घण्टें में	100

1	2	3	4
6	शौचालयों की ऑनलाइन मैप में खोजने हेतु या समकक्ष प्लेटफार्म में उपलब्धता एवं फीडबैक व्यवस्था।	समस्त शौचालयों आनलाइन मैप में उपलब्ध	1000
7	दिव्यांग हितैसी सीट, बच्चों की सीट तथा दिव्यांगजन हेतु रैम्प की उपलब्धता	प्रत्येक शौचालयों में 01-01 सीट तथा समुचित रैम्प की व्यवस्था अनिवार्य है।	5000
8	सीट, बेसिनफर्स, दीवार, दरवाजा, आईना, हैण्डड्रायर, सेनेटरी वेन्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन आदि की साफ-सफाई	निरन्तर किन्तु 24 घंटे में न्यूनतम 03 बार	500
9	साबुन, हैण्डवास, फिनायल, हार्पिक, एयर फ्रेशनर (ओडोनिल) डस्टबिन, झाड़ू, वाइपर, ब्रश, टावेल/टीसू पेपर तथा सफाईकर्मी, सुरक्षा पहनावें जैसे ग्लब्स, गमबूट, हेलमेट, चस्मा, एप्रेन आदि की व्यवस्था।	समुचित सफाई हेतु निरन्तर उपलब्धता	200
10	सेनेटरी वेन्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन तथा पैडेस्टल डस्टविन की उपलब्धता	समस्त सामुदायिक/ सार्वजनिक शौचालयों के महिला ब्लॉक सेनेटरी वेन्डिंग नैपकिन एवं इन्सीनेटर मशीन में तथा पैडेस्टलडस्टविन महिला ब्लॉक के प्रत्येक सीट पर	200
11	शौचालय के फ्रंट पर पौधे गमले तथा हाईमास्ट लाइट की व्यवस्था	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर	200
12	महिला तथा पुरुष हेतु अलग-अलग व्यवस्थाएँ।	प्रत्येक सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों पर महिला तथा पुरुषों हेतु पार्टिशन युक्त ब्लॉक की व्यवस्थाएँ जिसमें शौचालय सीट, मूत्रालय सीट तथा वॉसवेसिन उपलब्ध।	200

3-निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबन्धन-

(1) नगर पंचायत सीमान्तर्गत आने वाले प्रत्येक वार्डों में ऐसे निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट उत्पादक जो प्रतिदिन 10 टन या उससे अधिक तथा प्रतिमाह 200 टन या उससे अधिक निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट को उत्पन्न करते हैं ऐसे उत्पादकों को बल्कवेस्ट जनरेटर की श्रेणी में तथा प्रतिदिन 20 टन से कम अपशिष्ट उत्पन्न करने वाले उत्पादकों नॉनबल्कवेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा जायेगा।

(2) निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्कवेस्ट जनरेटर द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट का संग्रहण एवं निस्तारण के लिए शुल्क का निर्धारण निकाय के सक्षम अधिकारी द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट की मात्रानुसार किया जायेगा, जिसका देय निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट बल्कवेस्ट जनरेटर द्वारा होगा।

(3) नगर पंचायत सीमान्तर्गत यदि किसी भी व्यक्ति/संस्थान द्वारा भवन मानचित्र पास कराने के पश्चात् भवन का निर्माण/विध्वंस कार्य कराते समय निर्माण/विध्वंस अपशिष्ट उत्पन्न होता है तो ऐसी स्थिति में भू-स्वामि/संस्थान/व्यक्ति के लिए निकाय द्वारा उपलब्ध कराये गये टोल फ्री नम्बर-1533 अथवा कार्यालय नगर पंचायत से सम्पर्क कर सूचित करते हुए निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट का उचित उठान, संग्रहण एवं निस्तारण हेतु निकाय द्वारा डेडिकेटेड वाहन जे०सी०बी० निर्धारित शुल्क मु०-2000 रुपये प्रति घंटे तथा ट्रेक्टर ट्राली प्रतिट्रीप 1500 शुल्क के अनुसार निकाय द्वारा लिया जायेगा।

(4) यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा सड़क, नाला, नालियां, पार्कों में तथा सार्वजनिक स्थान पर निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट रखा/गिराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति/संस्था/भू-स्वामि को चिन्हित करते हुए जूर्माना धनराशि मु०-2000 रुपये वसूल किया जायेगा।

4-प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन-

(1) भारत सरकार का राजपत्र सं०-178 नई दिल्ली शुक्रवार, 16 मार्च, 2016 में प्रकाशित अपशिष्ट प्लास्टिक नियम 2016 तथा भारत का राजपत्र सं०-459 नई दिल्ली 12 अगस्त, 2021 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन (संशोधन) नियम 2021 एवं सरकारी गजट उत्तर प्रदेश के 15 जुलाई, 2016 के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में नगर पंचायत के सीमान्तर्गत प्लास्टिक एवं थर्माकोल के सामग्री के विनिर्माण, आयात, भण्डारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर निम्नानुसार प्रतिबन्ध लागू है।

(2) 75 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक के कैंरीबैग और वस्तु 30 सितम्बर, 2021 से प्रतिबन्धित कर दिया गया है।

(3) 1 जुलाई 2022 की तारीख से निम्नलिखित सामग्री प्रतिबन्धित किया गया है-

(क) पोलीस्टाइनरीन और विस्तारित पोलीस्टाईरीन वस्तुओं सहित निम्नलिखित एकल-प्रयोग-प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, वितरण, बिक्री और उपयोग का निषेध किया गया है।

(ख) प्लास्टिक स्टिक युक्त ईयरवड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैडीस्टिक, आइसक्रीम की डंडिया, पालेस्टाईरीन (थर्माकोल) की सजावटी सामग्री आदि।

(ग) जो कम्पोस्टिंग योग्य न हो ऐसी प्लास्टिक से बनी प्लेटें, कप गिलास, कांटें, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैके, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पी०बी०सी० बैनर, रिट्रार का भी 1 जुलाई, 2022 से प्रयोग प्रतिबन्धित कर दिया गया। उक्त का प्रयोग करते पाये जाने पर निम्नानुसार शुल्क/जुर्माना वसूले जाने का प्राविधान किया गया है। जो नगर पंचायत में भी लागू है।

क्र० सं०	प्रतिषिद्ध श्रेणी के निस्तारण योग्य पॉलीथीन कैंरीबैगों, प्लास्टिक और थर्मोकोल वस्तुओं की मात्रा	जुर्माना धनराशि रूपयों में
(क) 1	100 ग्राम तक	1000
(क) 2	101 ग्राम— 500 ग्राम	2000
(क) 3	501 ग्राम— 01 किलोग्राम	5000
(क) 4	01 किलोग्राम— 05 किलोग्राम	10000
(क) 5	05 किलोग्राम से अधिक	25000
(ख)	किसी संस्था/वाणिज्यिक संस्था/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठानदुकानों/ढाबों/औद्योगिक/ प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि द्वारा परिसर के अन्तर्गत और सड़कों मार्गों नालों, नदियों, झीलों, तालाबों, वन क्षेत्रों, सार्वजनिक पार्कों, समस्त सार्वजनिक स्थलों आदि पर प्लास्टिक अपशिष्ट का फेंका जाने पर।	25000
(ग)	व्यक्तियों द्वारा किन्हीं निजी या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तथा शैक्षिक संस्थाओं/ कार्यालयों/होटलों/दुकानों/रेस्तराओं/मिष्ठान/दुकानों/ढाबों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/ भोजन कक्षों आदि में और सड़कों, मार्गों नदियों	1000

उक्त नियम का प्रभाव सरकारी बैनरों, पोस्टरों पर लागू नहीं होगा।

नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया द्वारा बनाये गये उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 के शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन नगर पंचायत बरियारपुर, जनपद—देवरिया बोर्ड के प्रस्ताव के द्वारा किया जा सकता है। जिसका राजकीय गजट में प्रकाशन कराना अनिवार्य नहीं होगा।

दण्ड

‘यदि कोई भी व्यक्ति उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 की किसी भी धारा का उल्लंघन करेगा/करायेगा/करने में प्रोत्साहन देगा उस व्यक्ति पर उपविधि “विविधकर” (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2024 में प्राविधानित दण्ड से दण्डित किया जा सकता है। जुर्माना जमा न करने पर 03 माह तक कारावास का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

ह0 अस्पष्ट,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत बरियारपुर,
देवरिया।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम ईशान दुबे (Ishan Dubey) पुत्र अश्विनी कुमार दूबे है। जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5632 5216 6973 में उसका नाम अनुराग दुबे अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम ईशान दुबे (Ishan Dubey) पुत्र अश्विनी कुमार दूबे के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अश्विनी कुमार दुबे,
पता- परगासपुर, पर्गासपुर,
सन्त रविदास नगर, भदोही, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम दैविक प्रताप पुत्र शशांक प्रताप है, जो कि उनके शैक्षिक अभिलेख जन्म प्रमाण पत्र एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार उसका नाम दैविक प्रताप से बदलकर अन्वित प्रताप रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को अन्वित प्रताप पुत्र शशांक प्रताप के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

शशांक प्रताप,
30 कस्तूरबा गांधी मार्ग लक्ष्मी टाकीज,
कम्पाउण्ड कटरा प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम धन्या (DHANYA) पुत्री मयंक जयसवाल है। जो उसके जन्म प्रमाण पत्र और आधार

कार्ड सं० 2590 9512 7229 में अंकित है। मेरी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक न रहने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श के अनुसार मैंने अपनी पुत्री का नाम धन्या से बदलकर धन्याश्री (DHANYASHRI) रख लिया है। भविष्य में मेरी पुत्री को धन्याश्री (DHANYASHRI) पुत्री मयंक जयसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मयंक जयसवाल, पुत्र राजेन्द्र जयसवाल
निवासी- 184 पुराना कटरा,
तहसील सदर प्रयागराज, उ०प्र०

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सिद्धि चौबे (Siddhi Chaubey) पुत्री श्रीधर चौबे है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख व जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 5009 5848 5790 में मेरा नाम श्धी कुमारी (Shdhi Kumari) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सिद्धि चौबे पुत्री श्रीधर चौबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सिद्धि चौबे पुत्री श्रीधर चौबे,
निवासी- नई बस्ती बुल्लापुर अखर,
सवरु बंद बलिया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता जी का शुद्ध नाम संजय सहतु राम है तथा माता जी का शुद्ध नाम संतरा है। जो कि उनके आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे हाई स्कूल प्रमाण पत्र सह-अंक पत्र (अनुक्रमांक 5296967 वर्ष 2014) में मेरे पिता जी का नाम संजय कुमार सेतु तथा माता जी का नाम सुभांगी देवी अंकित हो गया है जो कि गलत है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अरुण कुमार पुत्र श्री संजय सहतु राम,
मोहल्ला-मंजीरपट्टी, सरायमीर,
जिला-आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रियंका पुत्री स्व० रमेश है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3904 4298 7692 में मेरा नाम प्रेमिका अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रियंका पुत्री स्व० रमेश पत्नी अरुण कुमार के नाम से जाना पहचाना जाएगा।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

प्रियंका पुत्री स्व० रमेश,
निवासिनी- ग्राम गोपालखेड़ा, पुरसेनी,
मोहनलालगंज, जिला लखनऊ।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम आकर्ष पुत्र अभिराम सिंह है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3018 6056 6167 में उसका नाम ऐश द्वारा सरस्वती नाम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आकर्ष पुत्र अभिराम सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अभिराम सिंह, पुत्र चन्द्रपाल सिंह,
निवासी-ग्राम व पो० महारामऊ थाना पुरवा,
जिला उन्नाव, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी बेटी का सही नाम खुशी द्विवेदी (KHUSHI DWIVEDI) पुत्री आशीष द्विवेदी है, जो कि उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 8088 5597 7909 में उसका नाम एंजल अंकित हो गया है जो कि उसका घरेलू नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम खुशी द्विवेदी पुत्री आशीष द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

हिमांशी शुक्ला, पत्नी आशीष द्विवेदी,
निवासी- 124/132, ब्लॉक-सी, गोविंद नगर,
कानपुर नगर, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम उर्जित पाण्डेय (Urjit Pandey) पुत्र भाष्कराचार्य पाण्डेय है। जो उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 2602 2420 8048 में उसका नाम उर्जत पाण्डेय अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम उर्जित पाण्डेय (Urjit Pandey) पुत्र भाष्कराचार्य पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

भाष्कराचार्य पाण्डेय
पुत्र श्री प्रेम नारायण पाण्डेय,
निवासी-63/4C-1A गंगा दर्शन
मार्केट, शिवकुटी, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम DEEPANSHU (दीपांशु) पुत्र

SHAILESH KUMAR (शैलेश कुमार) है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या— 2947 6201 2904 में उसका नाम Baby Two अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम Deepanshu पुत्र Shailesh Kumar के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताये मेरे द्वारा पूर्ण कि गई है।

शैलेश कुमार पुत्र राम निवाज,
निवासी— ग्राम चकमाहपुर पाण्डेय मऊ,
पो0 कशियापूर्व कशिया भरवारी,
कौशाम्बी, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी माता का सही नाम जालपा देवी है जो मेरे हाई स्कूल व उनके आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे इण्टरमीडिएट के अंक प्रमाण पत्र रोल नं0 23745462/2023 में मेरी माता का नाम जालपा चौरसिया अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

लक्ष्मी चौरसिया पुत्री सुजीत चौरसिया,
नि0— 31 पाली ज्ञानपुर भदोही,
संत रविदास नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम रिकू देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह है, जो की मेरे पैन कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ECHS कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है एवं उप जिलाधिकारी की जाँच रिपोर्ट में भी अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 6680 5475 5421 में मेरा नाम सुचिता सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य मे मुझे रिकू देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रिकू देवी पत्नी श्री जितेन्द्र सिंह,
पता— 2A/6A/15 शिवकुटी तेलियरगंज,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आराध्या सिंह पुत्री रवि कुमार है, जो उसके शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 9218 4614 5440 में उसका नाम वैभव अंकित हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आराध्या सिंह पुत्री रवि कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

रवि कुमार पुत्र गोविन्द,
निवासी ग्राम पित्थौरपुर उसरी,
पोस्ट रेण्डा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अदिती देवी पुत्री विनय कुमार द्विवेदी है जो कि उसके शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या 7570 6373 1633 में उसका नाम आल्वी हो गया है, जो कि गलत नाम है। भविष्य मे मेरी पुत्री को उसके सही नाम अदिती देवी पुत्री विनय कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

विनय कुमार द्विवेदी,
ग्राम व पोस्ट महिला उपरहार,
जनपद कौशाम्बी उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रतिभा पटेल पुत्री जवाहर लाल पटेल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है । त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं0 2379 5596 2598 में मेरा नाम प्रतिभा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रतिभा पटेल (PRATIBHA PATEL) पुत्री जवाहर लाल पटेल पत्नी महेन्द्र कुमार सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

प्रतिभा पटेल
याकूबपुर जलालपुर कस्बा फूलपुर,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम समीर कुमार (Sameer Kumar) पुत्र प्रेम शंकर है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-5692 7642 5386 में उसका नाम समीर अंकित है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम समीर कुमार पुत्र प्रेम शंकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रेनू देवी पत्नी प्रेम शंकर
निवासी- हांसीपुर हासापुर,
मिर्जापुर यू0पी0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम मो० अर्सलान (MOHD ARSALAN) पुत्र स्व० मो० अफजल है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०- 3936 6344 2737 में मेरा

नाम मो० आरसलन (MOHD ARSALAN) अंकित हो गया है जो कि गलत है । भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मो० अर्सलान (MOHD ARSALAN) पुत्र स्व० मो० अजफल के नाम से जाना एवं पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मो० अर्सलान पुत्र स्व० मो० अफजल,
निवासी-406/377, यू०पी० टेनरी आशरफाबाद,
जाजमऊ, शिवांस टेनराय, शिवस तन्ने,
कानपुर नगर, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पूनम श्रीवास्तव पुत्री जालपा प्रसाद श्रीवास्तव है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या- 9807 7516 0046 में मेरा नाम पूनम वर्मा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पूनम श्रीवास्तव पुत्री जालपा प्रसाद श्रीवास्तव पत्नी अशोक कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

पूनम श्रीवास्तव पुत्री जालपा प्रसाद श्रीवास्तव,
पत्नी अशोक कुमार वर्मा,
निवासिनी- प्लैट नं० एफ.एफ.-211 झील अपार्टमेंट,
बी०के० बनर्जी रोड कटरा, जनपद प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम सोनू यादव (Sonu Yadav) पुत्र रामनाथ यादव है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-4861 2826 5408 में मेरा नाम डीपू यादव अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सोनू यादव पुत्र रामनाथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

सोनू यादव पुत्र रामनाथ यादव,
निवासी— सखवनिया भटवलिया शेखवनिया,
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया है कि मेरा सही नाम इनरावती देवी पत्नी स्व० नन्दलाल राम है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, खतौनी, परिवार रजिस्टर मेरे पति के सेवा अभिलेख तथा उप जिलाधिकारी की जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवंश मेरे आधार कार्ड संख्या—9380 7641 6406 में मेरा नाम इन्द्रावती देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे इनरावती देवी पत्नी स्व० नन्दलाल राम के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

इनरावती देवी पत्नी स्व० नन्दलाल राम,
पता—बैकुण्ठपुर, पिण्डरा, जिला वाराणसी।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कुंदन तिवारी पुत्र राजेश चंद्र तिवारी है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवंश मेरे आधार कार्ड संख्या—4488 4488 9846 में मेरा नाम कुंदन कुमार तिवारी अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे कुंदन तिवारी पुत्र राजेश चंद्र तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

उक्त से सम्बन्धित सभी विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है

कुंदन कुमार तिवारी, पुत्र राजेश चंद्र तिवारी
पता— 572, बी ब्लॉक, पनकी पकाबहादुर नगर,
कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आशुतोष पाल पुत्र नंद लाल है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख और जन्म प्रमाणपत्र में अंकित है। त्रुटिवंश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 3985 0403 1130 में उसका नाम अमन अंकित हो गया है, जो कि घरेलू नाम है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आशुतोष पाल पुत्र नंद लाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे स्वयं द्वारा पूर्ण की गयी है।

नंद लाल पुत्र राम उजागिर,
पता— चौरवा, गनेशपुर बस्ती,
उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम राजेश यादव (RAJESH YADAV) पुत्र रिखदेव यादव है जो कि मेरे समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आधारकार्ड, पैनकार्ड में अंकित है। त्रुटिवंश मेरे सर्विस अभिलेख पी.पी.ओ संख्या —2352 0260 0055 में मेरा नाम राजेश यादवा (RAJESH YADAVA) अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मुझे राजेश यादव (RAJESH YADAV) पुत्र रिखदेव यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त से सम्बन्धित सभी विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

राजेश यादव पुत्र रिखदेव यादव,
पता— ग्राम ढाका, पोस्ट मुबारकपुर,
जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंकित अवस्थी पुत्र शैलेन्द्र कुमार अवस्थी है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवंश मेरे

आधार कार्ड संख्या-9808 5324 1774 में मेरा नाम चन्द्रकान्त अवस्थी पुत्र शैलेन्द्र कुमार अवस्थी हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंकित अवस्थी पुत्र शैलेन्द्र कुमार अवस्थी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित लिया जाता है। कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अंकित अवस्थी पुत्र शैलेन्द्र कुमार अवस्थी,
निवासी- ग्राम पोस्ट त्रिवेदीगंज,
तहसील हैदरगढ़ बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नीरज कुमार पाल पुत्र जगदीश पाल है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख, आधार कार्ड सं-5391 2108 2049 एवं पैन कार्ड सं0-JUDPK8896L में अंकित है। स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के परामर्श अनुसार मैंने अपना नाम नीरज कुमार पाल से बदलकर नरेन्द्र पाल रख लिया है। भविष्य में मुझे नरेन्द्र पाल पुत्र जगदीश पाल के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित लिया जाता है। कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

नीरज कुमार पाल, पुत्र जगदीश पाल,
पता- मं0 सं0-82/40बी नेवादा,
प्रयागराज, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विमला देवी पत्नी छेदीलाल है जो मेरे बिजली बिल, बैंक पासबुक, निर्वाचन कार्ड, परिवार रजिस्टर एवं उपजिलाधिकारी जांच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2910 5428 0137 में मेरा नाम माधुरी देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे

मेरे सही नाम विमला देवी पत्नी छेदीलाल के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

विमला देवी पत्नी छेदीलाल
पूरे पीर गुलाम कुंडा प्रतापगढ़

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम नन्दिनी जायसवाल पुत्री भारत कुमार है, जो उसके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं0-7162 9635 7737 में उसका नाम सोमरा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम नन्दिनी जायसवाल पुत्री भरत कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

भरत कुमार पुत्र नन्द लाल,
नि०- काशोपुर, कुरह हुआ वाराणसी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम ओसु यादव पुत्र ओंकार नाथ है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 3208 8837 8673 में मेरा नाम संग्राम अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम ओसु यादव पुत्र ओंकार नाथ के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक अपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ओसु यादव,
ग्राम गौरी का पुरवा फिरोजपुर,
मखदुमी जिला अयोध्या।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम नन्हई पुत्र लल्ला है। जो मेरे परिवार रजिस्टर, जन्म प्रमाण पत्र, खतौनी, उप जिलाधिकारी जाँच आख्या में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 2637 9080 2488 में मेरा नाम विनोद कुमार हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम नन्हई पुत्र लल्ला के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नन्हई पुत्र लल्ला
निवासी ग्राम तमोरिया बुजुर्ग
पोस्ट अरगपुर तहसील बांगरमऊ
जिला उन्नाव।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पिता का सही नाम केदार राम है जो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश मेरे सेकेण्डरी स्कूल परीक्षा सी0बी0 एस0ई0 बोर्ड रोल नं0-5016292/2016 में मेरे पिता का नाम केदार नाथ अंकित हो गया है, जो कि गलत है।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

निशा कुमारी पुत्री केदार राम
निवासी- 110एफ/3एफ, लेन नं04,
विष्णापुरी, बमरौली उपरहार, इलाहाबाद।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लकी (Laki) पुत्र मंजय कनौजिया है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-4097 6075 2536 में मेरा नाम लकी (Lucky) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लकी (Laki) पुत्र मंजय कनौजिया के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

लकी पुत्र मंजय कनौजिया
निवासी- कैलहट पचेवारा मिर्जापुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम पवन कुमार मिश्र पुत्र बलदेव प्रसाद मिश्र है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०-3495 9104 0432 में मेरा नाम मदन मिश्रा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम पवन कुमार मिश्र पुत्र बलदेव प्रसाद मिश्र के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

पवन कुमार मिश्र
निवासी-ग्राम खानापुर, पोस्ट दुर्गापुर,
ब्लाक भादर, तहसील व जिला अमेठी, उ०प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम आरोही सोनकर पुत्री राम बाबू सोनकर है, जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या-9687 3112 2997 में उसका नाम वैष्णवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम आरोही सोनकर पुत्री राम बाबू सोनकर के नाम जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

राम बाबू सोनकर,
निवासी-116/190 कैसरबाग,
घसियारी मण्डी, बाल्दा रोड, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूर्या यादव (Surya Yadav) पुत्र संतोष कुमार यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-4486 3951 7525 में उसका नाम सूर्याश यादव अंकित हो गया है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूर्या यादव पुत्र संतोष कुमार यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

संतोष कुमार यादव पुत्र रविन्द्र सिंह यादव,
निवासी- कन्धौरा कलां गाजीपुर यू0पी0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे आधार कार्ड सं० 7950 4132 5680 में मेरा नाम NEHA DWIEDI अंकित हो गया है, जो कि गलत है। मेरा सही नाम NEHA DWIVEDI (नेहा द्विवेदी) पुत्री बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी है, जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। भविष्य में मुझे नेहा द्विवेदी (NEHA DWIVEDI) पुत्री बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

नेहा द्विवेदी पुत्री बृजेन्द्र कुमार द्विवेदी,
निवासी करमा बरौली, तहसील करछना,
थाना घूरपुर, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम दीप शिखा जायसवाल (Deep Shikha Jayswal) पुत्री जीत लाल जायसवाल है, जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7036 2835 4209 में मेरा नाम सुशीला देवी अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम दीप शिखा जायसवाल पुत्री जीत लाल जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दीप शिखा जायसवाल,
पुत्री जीत लाल जायसवाल,
निवासी- म0न0 360 मोहल्ला सादिकगंज,
पोस्ट मछलीशहर जौनपुर, उ0प्र0।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री सही नाम जान्हवी सिंह (JANHAVI SINGH) पुत्री विवेक कुमार है जो कि उसके सभी शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०-7230 5118 2385 में उसका नाम जानवी सिंह (JANVI SINGH) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम जान्हवी सिंह (JANHAVI SINGH) पुत्री विवेक कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

विवेक कुमार, पुत्र जगवनता पटेल
निवासी- परमानंदपुर, वाराणसी शिवपुर उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में मेरा सही नाम सुजाता पुत्री महेन्द्र सिंह है। जब कि त्रुटिवश आधार कार्ड सं० 6765 9462 0159 में मेरा नाम सुधा अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम सुजाता पुत्री महेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित दिया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

सुजाता पुत्री महेन्द्र सिंह,
निवासी सभापुर, पो० बरोना कला, तहसील विधूना,
जनपद औरैया, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम आरूषी त्रिपाठी पुत्री सूर्य कान्त त्रिपाठी है जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 7998 1515 6341 में मेरा नाम सलोनी तिवारी अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम आरूषी त्रिपाठी पुत्री सूर्य कान्त त्रिपाठी के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

आरूषी त्रिपाठी

पता— शिवपुर खुर्द पोस्ट शिवपुर खुर्द मंगरौरा,
पट्टी प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम मोनिका दुबे (MONIKA DUBEY) पुत्री ब्रजेश दुबे (BRAJESH DUBEY) है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या— 2987 0849 6578 में मेरा नाम सारा अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम मोनिका दुबे पुत्री ब्रजेश दुबे के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई है।

मोनिका दुबे

निवास—231बी/1ए, लेन नं0 23,
विष्णापुरी कालोनी, पोंगहट पुल,

बमरौली, थाना—धूमनगंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लाल मोहन पुत्र श्री प्रसाद है, जो कि मेरे शैक्षणिक अभिलेख में अंकित है, त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 4282 4423 0086 में मेरा नाम मोहन लाल यादव (MOHAN LAL YADAV) अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लाल मोहन (LAL MOHAN) पुत्र श्री प्रसाद के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

लाल मोहन पुत्र श्री प्रसाद,

निवासी— असवनपार जिला गोरखपुर, उ०प्र०

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम इशिता पुत्री अजीत कुमार है जो उनके शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—9229 3850 8481 में उसका नाम आराध्या अंकित हो गया है जो कि गलत है भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम इशिता पुत्री अजीत कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

अजीत कुमार

पता मं० नं०—113 ऊँचा थोक साण्डी रोड,
हरदोई, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम अनुश्री पाण्डेय पुत्री रोहित कुमार पाण्डेय है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं०—4115 0037 9878 में उसका नाम कौशिकी पाण्डेय अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम अनुश्री पाण्डेय पुत्री रोहित कुमार पाण्डेय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

रोहित कुमार पाण्डेय, पुत्र इन्द्र भूषण पाण्डेय,

निवासी—61जी/3सी, ओम गायत्री नगर,
चांदपुर सलोरी, प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लव्यांश मलिक पुत्र सुनित कुमार मलिक है। जो

कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं० 2212 6372 5933 में उसका नाम लेहान मलिक अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लव्यांश मलिक पुत्र सुनित कुमार मलिक के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

सुनित कुमार मलिक पुत्र गणेश मलिक,
पता— एकता नगर, कल्लिपश्चिम,
रायबरेली मार्ग, लखनऊ, उ० प्र०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम विवेक कुमार राय (VIVEK KUMAR RAY) पुत्र हरिशंकर राय है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेखों में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड संख्या 9421 1157 0968 में मेरा नाम विवेक कुमार राय (VIVEK KUMAR RAI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम विवेक कुमार राय (VIVEK KUMAR RAY) पुत्र हरिशंकर राय के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के संबंध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

विवेक कुमार राय
प्लॉट न. 24/25 अलमास बाग,
बरौरा हुसैन बाड़ी लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम सुरभी वर्मा (Surabhi Verma) पुत्री संदीप कुमार वर्मा है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड संख्या—7750 3929 3608 में उसका नाम सुरभी वर्मा (Surubhi Verma) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम सुरभी वर्मा (Surabhi Verma) पुत्री संदीप कुमार वर्मा के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

संदीप कुमार वर्मा पुत्र चन्द्रिका प्रसाद वर्मा,
निवासी 2/224 प्रेम नगर शुक्लागंज,
थाना गंगाघाट जिला उन्नाव, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम अंश सिंह (Ansh Singh) पुत्र फूल सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 6156 1608 4397 में मेरा नाम प्रियांशु अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम अंश सिंह पुत्र फूल सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताये स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अंश सिंह पुत्र फूल सिंह,
निवासी—ग्राम धामोर पोस्ट सिकंदरा बहरिया,
तहसील फूलपुर प्रयागराज उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम सूर्यांश सिंह (Suryansh Singh) पुत्र भानू प्रकाश सिंह है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 8828 6119 4982 में उसका नाम सूरज सिंह अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम सूर्यांश सिंह (Suryansh Singh) पुत्र भानू प्रकाश सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

भानू प्रकाश सिंह, पुत्र दिलीप कुमार सिंह,
पता— गद्दीपुर जेठपुरा कजगांव,
जौनपुर उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आदर्श चौधरी (ADARSH CHAUDHARI) पुत्र रवि प्रकाश चौधरी है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड संख्या 5755 9577 3371 में उसका नाम कलश चौधरी (KALASH-CHAUDHARI) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आदर्श चौधरी (ADARSH CHAUDHARI) पुत्र रवि प्रकाश चौधरी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रवि प्रकाश चौधरी
पूरे चकई टेउंगा, पो० पूरे ओझा,
थाना मोहनगंज, प्रतापगढ़, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का नाम कार्तिक गौतम पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं आधार कार्ड में अंकित है। मैंने अपने पुत्र का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपने ज्योतिषाचार्य के अनुसार उसका नाम कार्तिक गौतम से बदल कर यथार्थ राज गौतम रख लिया है। भविष्य में मेरे पुत्र को यथार्थ राज गौतम पुत्र पुष्पेन्द्र कुमार गौतम के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

पुष्पेन्द्र कुमार गौतम,
पता-बी०एस०-268 बरसाना सेक्टर,
पी०डी०ए० कालोनी, कालिन्दीपुरम् प्रयागराज, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु. अर्चना देवी (Km Archana Devi) पुत्री रमेश सिंह है जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं-7291 4456 5946 में मेरा नाम प्रभा देवी

अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु. अर्चना देवी (Km Archana Devi) पुत्री रमेश सिंह पत्नी योगेन्द्र सिंह के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० अर्चना देवी पुत्री रमेश सिंह पत्नी योगेन्द्र,
निवासी- ग्राम चक माजरा थांभा,
पोस्ट नारा सिराथू कौशाम्बी उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम आर्यन (ARYAN) पुत्र उमाशंकर है जो कि शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०-3482 0953 4738 में उसका नाम साहिल अंकित हो गया है, जो गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम आर्यन पुत्र उमाशंकर के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

उमाशंकर
525ए/1 राजापुर ऊँचवागढ़ी दहियावन,
प्रयागराज उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कु. प्रिया तिवारी (Km Priya Tiwari) पुत्री तुंग नाथ तिवारी है। जो मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं० 7905 4604 4007 में मेरा नाम रूबी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम कु० प्रिया तिवारी पुत्री तुंग नाथ तिवारी पत्नी अजय कुमार तिवारी के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

कु० प्रिया तिवारी पुत्री तुंग नाथ तिवारी,
पत्नी अजय कुमार तिवारी
निवासी- करेरू दक्षिणपारा बरागांव,
आर एस फैजाबाद उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम लक्ष्मण यादव (Laxman Yadav) पुत्र दशरथ यादव है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—3173 0438 7039 में उसका नाम छल्क (Chalaku) अंकित हो गया है, जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम लक्ष्मण यादव पुत्र दशरथ यादव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

दशरथ यादव,
निवासी— जनापुर पानियरियां गडैला,
जौनपुर यू०पी०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम मो. अर्श (Mohd Arsh) पुत्र मो० सलीम है जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०— 9382 2949 4145 में उसका नाम मोहम्मद अरसी अंकित है जोकि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम मो. अर्श (Mohd Arsh) पुत्र मो. सलीम के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित करता किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

मो. सलीम पुत्र कमरूल हसन
निवासी— एस 10/132-2 हुकुलगंज खजुरी,
वाराणसी यू०पी०।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम यशपाल पुत्र दिनेश कुमार है जो कि उसके शैक्षिक अभिलेख एवं जन्म प्रमाण-पत्र में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं०—2226 8824 7745 में उसका नाम आदर्श पाल अंकित हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम यशपाल पुत्र दिनेश कुमार के नाम से जाना व पहचाना जाए।

एतद्वारा प्रमाणित दिया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

दिनेश कुमार पुत्र रघुराज,
ग्राम—जसराजपुर, पो० कुम्भीपुर,
तह० खागा जिला— फतेहपुर, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम लक्ष्मिन पुत्र शिवदास है जो मेरे निर्वाचन कार्ड, पैन कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल एवं उपजिलाधिकारी द्वारा जांच रिपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं०— 6420 8727 9430 में मेरा नाम शिवदास अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम लक्ष्मिन पुत्र शिवदास के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

लक्ष्मिन पुत्र शिवदास
पता— ग्राम—सलखनटोला, लालगंज,
परगना अगोरी, तहसील—राबटसगंज,
सोनभद्र, उ०प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का सही नाम उपासना राव (Upasna Rao) पुत्री रमेश राव है। जो उसके शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पुत्री के आधार कार्ड सं० 8119 7379 6148 में उसका नाम खुशी अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मेरी पुत्री को उसके सही नाम उपासना राव (Upasna Rao) पुत्री रमेश राव के नाम से जाना व पहचाना जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

रमेश राव पुत्र बटोर
निवासी— टिकरी खुर्द पोस्ट गोठा,
दोहरी घाट मऊ उ० प्र०।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पुत्र का सही नाम पार्थ मिश्रा (PARTH MISHRA) पुत्र विनय मिश्रा है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र में एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में अंकित है। लेकिन मेरे पुत्र के आधार कार्ड सं0 9767 2510 4055 में उसका नाम जन्मेजय मिश्रा हो गया है, जो कि गलत है। भविष्य में मेरे पुत्र को उसके सही नाम पार्थ मिश्रा पुत्र विनय मिश्रा के नाम से जाना एवं पहचाना जाये।

एतत् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

अनीता देवी पत्नी विनय मिश्रा,
पता-एकौनी कौधियारा जारी,
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है मेरा सही नाम अंकिता सिंह वयस्क पुत्री उदित राज सचान है जो मेरे शैक्षिक अभिलेखों व आधार कार्ड में अंकित है। त्रुटिवश पॉलिस्सी सं0-233213819 में मेरा नाम नम्रता सचान अंकित हो गया है जो कि मेरा घरेलू नाम है। भविष्य में मुझे सही नाम अंकिता सिंह वयस्क पुत्री उदित राज सचान के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं।

अंकिता सिंह वयस्क पुत्री उदित राज सचान,
निवासीनी- डी 185 वर्ल्ड बैंक कालोनी,
बर्बा जनपद कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० करुणा ट्रेडर्स, जी-9, राम रघु एक्सोटिका, शमशाबाद रोड, आगरा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री शिव कुमार गुप्ता, श्री हरीश चन्द गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, श्रीमती सुनीता, श्रीमती मन्जू गुप्ता हम सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 10 मार्च, 2022 को संचालन की थी। दिनांक 01 अप्रैल, 2025

से श्री रामस्वरूप, श्री धनपाल सिंह, श्री अवधेश गुप्ता फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री शिव कुमार गुप्ता, श्री हरीश चन्द गुप्ता, श्री अमित गुप्ता, श्रीमती सुनीता, श्रीमती मन्जू गुप्ता, श्री रामस्वरूप, श्री धनपाल सिंह, श्री अवधेश गुप्ता हम सभी साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

शिव कुमार गुप्ता,
साझेदार,
मे० करुणा ट्रेडर्स,
जी-9, राम रघु एक्सोटिका,
शमशाबाद रोड, आगरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मे० हिमांशु कान्त्रेक्टर, टीचर्स कॉलोनी, निधौली चौराहा, जलेसर, जिला एटा में स्थित है उपरोक्त फर्म में श्री रामपाल सिंह, श्री अमित चौहान, निवासीगण जिला एटा हम दोनों साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक-18 फरवरी, 2013 को संचालन की थी। दिनांक 26 मार्च, 2022 से फर्म में श्री संतोष कुमार साझेदार हो गये हैं एवं दिनांक 26 मार्च, 2022 से श्री अमित चौहान फर्म से पृथक् हो गये हैं। दिनांक 05 मार्च, 2023 को श्री रामपाल सिंह की मृत्यु हो गई है एवं दिनांक 06 सितम्बर, 2024 से श्री विकास जादौन फर्म में साझेदार हो गये हैं। अब फर्म को श्री संतोष कुमार, श्री विकास जादौन हम दोनों साझेदार के रूप में संचालित करेंगे।

संतोष कुमार,
साझेदार,
मे० हिमांशु कान्त्रेक्टर,
टीचर्स कॉलोनी,
निधौली चौराहा, जलेसर, जिला एटा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे० श्री राम इण्डस्ट्रीज, 136/40 श्री जी पुरम भरतपुरिया पैच कोसीकला मथुरा उपरोक्त फर्म में साझेदार श्री विकास पाण्डेय पुत्र श्री सुरेन्द्र कुमार पाण्डेय, श्री राहुल मंगला पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मंगला, श्री दिलीप कुमार मिश्रा पुत्र श्री अवधेश कुमार मिश्रा, श्री विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० भूदेव प्रसाद सभी साझेदारों ने अपनी फर्म दिनांक 01 जून, 2022 को संचालन की थी दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को श्री राहुल मंगला पुत्र श्री बिजेन्द्र कुमार मंगला उक्त फर्म से स्वेच्छा से अलग हो गये

है फर्म में उनका कोई लेन देन बकाया नहीं है। अब फर्म को श्री विकास पाण्डेय, श्री दिलीप कुमार मिश्रा, श्री विनोद कुमार अग्रवाल संचालित करेंगे।

विकास पाण्डेय,

साझेदार,

मे0 श्री राम इण्डस्ट्रीज, 136/40 श्री जी पुरम,

भरतपुरिया पैच कोसी कला, मथुरा।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. Ram Narain Garg and Sons, 15/78 Civil Lines Kanpur Nagar का पत्रावली संख्या K-137467 पर पंजीकृत है। फर्म में कृष्ण नारायण गर्ग, विष्णु नारायण गर्ग, कैलाश नारायण गर्ग, प्रेम नारायण गर्ग अपनी अपनी HUF की हैसियत से व राजीव गर्ग पार्टनर थे। जिसमें प्रेम नारायण गर्ग दि० 09.03.1997, कृष्ण नारायण गर्ग दि० 26 नवम्बर, 1998, विष्णु नारायण गर्ग दि० 26 जनवरी, 2014 को स्वर्गवास हो चुका है व संशोधित भागीदारी डीड दि० 11 दिसम्बर, 2025 के अनुसार उनके स्थान पर श्री राजीव गर्ग, श्री मनोज गर्ग, श्री कैलाश नारायण गर्ग व श्री प्रशांत गर्ग, कर्ता की हैसियत से, यथावत रहेंगे। संशोधित डीड के अनुसार वर्तमान में अब चार ही पार्टनर, बराबर के हिस्सेदार रहेंगे।

कैलाश नारायण गर्ग

साझेदार

M/s Ram Narain Garg and Sons,
15/78 Civil Lines Kanpur Nagar.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म M/s. AJIT DAL MILL, 112/112, Pokharpur, Kanpur, U.P. का साझेदार हूँ। फर्म का पंजीयन दिनांक 01.02.1978 को पंजीकरण सं० I-143224 पर हुआ था। फर्म की संशोधित भागीदारी डीड दिनांक 09 फरवरी, 2026 के अनुसार फर्म की भागीदारी में श्री संजय बेताला, श्री प्रियम बेताला व श्रीमती निर्मला देवी बेताला को साझेदारी में शामिल किया गया है भागीदार श्री उगम चन्द्र बेताला का 08 फरवरी, 2026 को स्वर्गवास हो गया है तथा भागीदारी डीड दिनांक 11 मार्च, 2026 से साझेदार श्रीमती सुशीला देवी बेताला पत्नी श्री कैलाश चन्द्र बेताला निवासिनी 88, जानकी नगर मेन जैन मंदिर के पास, इन्दौर, म०प्र० व श्रीमती सुशीला देवी बेताला पत्नी श्री सागरमल बेताला निवासिनी 13 बी०जे० विहार

एक्सटेंशन, शिवमोती नगर, नौलखा, इन्दौर, म०प्र० 452001 स्वइच्छा से पृथक, हो गयी है अब फर्म में संजय बेताला, उम्र लगभग 52 वर्ष पुत्र स्व० उगम चन्द्र बेताला निवासी 112/112, पोखरपुर, कानपुर नगर उ०प्र० श्री प्रियम बेताला उम्र लगभग 25 वर्ष पुत्र श्री संजय बेताला निवासी 112/112, पोखरपुर, कानपुर नगर उ०प्र० तथा श्रीमती निर्मला देवी बेताला, उम्र लगभग 72 वर्ष पत्नी स्व० उगम चन्द्र बेताला निवासिनी 105, आनन्दपुरी, कानपुर नगर, उ०प्र० साझेदार हैं।

संजय बेताला,

पार्टनर,

M/s. AJIT DAL MILL,

112/112, Pokharpur, Kanpur, U.P.

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स बजरंग एसोसिएट्स पता खसरा नं० 094 ग्राम काकडा मुरादनगर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि हमारी फर्म की पार्टनरशिप 22 जुलाई, 2023 को हुई थी जिसमें पहले दो पार्टनर थे (1) श्री अक्षित गुप्ता पुत्र श्री आदेश कुमार गुप्ता (2) श्री निशान्त गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार गर्ग थे। यह कि फर्म की संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 16 फरवरी, 2026 की साझेदारी के अनुसार साझेदार नं० 2 श्री निशान्त गर्ग पुत्र श्री प्रमोद कुमार गर्ग स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 16 फरवरी, 2026 को नई साझेदार राखी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म में नई साझेदार आई है तथा अब इस फर्म में अब क्रम से साझेदारी दो साझेदार हो गये हैं (1) श्री अक्षित गुप्ता पुत्र श्री आदेश कुमार गुप्ता (2) राखी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता हो गये हैं। दिनांक 16 फरवरी, 2026 की साझेदारी के अनुसार फर्म का पता— खसरा नं० 094 ग्राम काकडा मुरादनगर तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से बदल कर शॉप नं० 07 ग्राउण्ड फ्लौर आनंदम स्क्वायर आनंदम एस्टेट विला आनंदम विलेज धारगल जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश हो गया है। यह कि फर्म की संशोधित साझेदारीनामा डीड दिनांक 06 मार्च, 2026 की साझेदारी के अनुसार साझेदार नं० 1 श्री अक्षित गुप्ता पुत्र श्री आदेश कुमार गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म से अलग हो गया है तथा इनका फर्म से कोई लेना देना बकाया नहीं है तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 06 मार्च, 2026 को नई साझेदार मानसी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता स्वेच्छा से इस फर्म में नई साझेदार आई है तथा अब इस फर्म में अब क्रम से साझेदारी दो साझेदार हो गये हैं। (1) राखी गुप्ता पुत्री श्री

आदेश कुमार गुप्ता (2) मानसी गुप्ता पुत्री श्री आदेश कुमार गुप्ता हो गये हैं।

राखी गुप्ता,
साझेदार,
मेसर्स बजरंग एसोसिएट्स,
पता खसरा नं0 094 ग्राम काकडा मुरादनगर,
तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स “जैन एसोसिएट्स” पता:— एम०आई०जी०-ए-137, रामगंगा विहार फेज-1, मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 13.02.2026 को फर्म का पूर्व पता:— एम०आई०जी०-ए-137, रामगंगा विहार फेज-1, मुरादाबाद (यू०पी०) से परिवर्तित करके नया पता: सीई-7, एम०आई०जी०, रामगंगा विहार फेज-1, मुरादाबाद (यू०पी०) किया गया है तथा दिनांक 13 फरवरी, 2026 को श्री कुलदीप कुमार जैन पुत्र स्व० कांता प्रसाद जैन शामिल हो गये हैं तथा अब वर्तमान में चार पार्टनर श्री नीरज जैन (65%), श्री. सर्वोदय कुमार जैन (15%), श्री हर्षित जैन (10%) व श्री कुलदीप कुमार जैन (10%) हो गये हैं।

नीरज जैन,
पार्टनर,
मेसर्स “जैन एसोसिएट्स”
पता:— एम०आई०जी०-ए-137, रामगंगा विहार,
फेज-1, मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स आकाश प्रोपर्टीज, पता:—136, आवास विकास कालोनी, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू०पी०) नामक फर्म में दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को श्री हिमांशु अग्रवाल पुत्र स्व० मधु कुमार अग्रवाल रिटायर हो गये हैं तथा दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 को श्रीमती वंदना जैन पत्नी विकास जैन शामिल हो गयी हैं तथा रिटायर्ड पार्टनर की उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार की कोई देनदारी या लेनदारी बकाया नहीं है तथा अब वर्तमान में दो पार्टनर श्रीमती आशी जैन व श्रीमती वंदना जैन हो गये हैं।

श्रीमती आशी जैन,
पार्टनर,
फर्म मेसर्स आकाश प्रोपर्टीज,
पता:— 136, आवास विकास कालोनी,
सिविल लाइन्स, मुरादाबाद (यू०पी०)।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म, मेसर्स संकल्प इन्टरप्राइजेज प्लैट नं0 बी-8, आरोही काम्पलेक्स, सेक्टर-16, मुंशीपुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ रजि० सं0—एल०यू०सी०/0017387 दिनांक 09 फरवरी, 2024 को लखनऊ से पंजीकृत है, जिसमें श्रीमती आरती सिंह को प्रथम एवं लल्लन कुमार द्वितीय साझेदार थे, दिनांक 01 अगस्त 2024 को श्रीमती संध्या गंगवार पत्नी दिलीप कुमार गंगवार निवासी प्लैट नं0 409 टावर पी 2, चन्द्रा पैनोरमा, सुशान्त गोल्फ सिटी, अंसल एपी, लखनऊ को तृतीय साझेदार के रूप में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में उक्त फर्म में श्रीमती आरती सिंह प्रथम, लल्लन कुमार द्वितीय एवं श्रीमती संध्या गंगवार तृतीय साझेदार के रूप में सम्मिलित हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

आरती सिंह,
साझेदार,
फर्म, मेसर्स संकल्प इन्टरप्राइजेज,
प्लैट नं0 बी-8, आरोही काम्पलेक्स,
सेक्टर-16, मुंशीपुलिया, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि M/s. AMBIKA UDYOG (PACKAGINGS) 52 B-, Dada Nagar Udyog Nagar, Kanpur-208022 में दिनांक 01 अप्रैल, 2024 को Richa Chaturvedi W/o Shri Praveer Chaturvedi R/o 52 B-, Dada Nagar Udyog Nagar, Kanpur-208022 उपरोक्त फर्म की साझेदारी में अपनी स्वेच्छा से शामिल हो गयी है। दिनांक 01 अप्रैल, 2024 से पार्टनरशिप डीड में निम्न तीन साझेदार हैं।

1— Madhu Chaturvedi W/o Late Keshav Prasad Chaturvedi R/o 52 B, Dada Nagar Udyog Nagar, Kanpur-208022

2— Praveer Chaturvedi S/o Late Keshav Prasad Chaturvedi R/o 52 B, Dada Nagar Udyog Nagar, Kanpur-208022

3— Richa Chaturvedi W/o Shri Praveer
Chaturvedi R/o 52 B-, Dada Nagar Udyog Nagar,
Kanpur-208022

Madhu Chaturvedi

साझीदार

M/S AMBIKA UDYOG (PACKAGINGS),
52 B, Dada Nagar Udyog Nagar, Kanpur.

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० जय महाकाल ट्रान्सपोर्ट, राठी मिल, स्टेशन रोड, मैनपुरी-205001 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है —

यह कि दिनांक 25 मार्च, 2026 से श्री अंकुर गुप्ता पुत्र श्री सतीशचन्द्र गुप्ता निवासी सिरसागंज रोड, करहल मैनपुरी तथा श्री अंकित गुप्ता पुत्र श्री विनोद कुमार गुप्ता निवासी बरनाहल, मैनपुरी को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है। वर्तमान में श्री नितिन गुप्ता, श्री धीरेश कुमार गुप्ता, श्री अंकुर गुप्ता तथा श्री अंकित गुप्ता साझेदार हैं।

नितिन गुप्ता

साझेदार

मे० जय महाकाल ट्रान्सपोर्ट, राठी मिल,
स्टेशन रोड, मैनपुरी-205001

सूचना

सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म मे० नसीरपुर इण्डेन, अपोजिट पालीवाल ऑटो सेन्टर, एटा रोड, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद-283135 में परिवर्तन की सूचना इस प्रकार है—

यह कि दिनांक 01 सितम्बर, 2025 से श्री ओमकार सिंह पुत्र श्री किशन निवासी— ग्राम सवाई एन्मादपुर, जिला आगरा को फर्म की साझेदारी में सम्मिलित कर लिया गया है जो वर्तमान में श्रीमती निर्मला कुमारी, श्री नरेन्द्र सिंह तथा श्री ओमकार सिंह साझेदार हैं।

निर्मला कुमारी,

साझेदार,

मे० नसीरपुर इण्डेन, अपोजिट पालीवाल ऑटो सेन्टर,
एटा रोड, शिकोहाबाद जिला फिरोजाबाद।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स Vintage Kitchen, 43/61 लूकरगंज, प्रयागराज- 211003 की साझीदारी में आकाश गुप्ता एवं यदुराज जोशी साझीदार थे। दिनांक 12 फरवरी, 2026 को श्री संजय शर्मा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुए तथा आकाश गुप्ता फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 12 फरवरी, 2026 को आकाश गुप्ता फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। दिनांक 12 फरवरी, 2026 की संशोधित साझीदारीनामा के अनुसार फर्म में यदुराज जोशी एवं संजय शर्मा साझीदार हैं।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक रूप से औपचारिकताओं का पालन स्वयं मेरे द्वारा किया गया है।

यदुराज जोशी,

साझीदार,

मेसर्स Vintage Kitchen,

43/61 लूकरगंज, प्रयागराज।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम प्रवीण कुमार पाण्डेय (PRAVEEN KUMAR PANDAY) पुत्र पवन कुमार पाण्डेय (PAWAN KUMAR PANDAY) है। जो कि मेरे शैक्षिक अभिलेख में अंकित है। त्रुटिवश मेरे आधार कार्ड सं 6790 4333 3305 में मेरा नाम प्रवीण कुमार (PRAVEEN KUMAR) अंकित हो गया है जो कि गलत है। भविष्य में मुझे मेरे सही नाम प्रवीण कुमार पाण्डेय (PRAVEEN KUMAR PANDAY) पुत्र पवन कुमार पाण्डेय (PAWAN KUMAR PANDAY) के नाम से जाना व पहचाना जाये।

एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गई हैं।

प्रवीण कुमार पुत्र पवन कुमार पाण्डेय

ग्राम नबादा अशरफपुर पोस्ट महासिर,

तहसील पुवायां जिला शाहजहांपुर, उ०प्र०।